बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

शुक्रवार, तिथि १५ मार्च १९६३ ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में शुक्रवार, तिथि १५ मार्च १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण ।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE.

ध्यानाकर्षण के संबंध में अध्यक्ष महोदय की उक्ति ।

OBSERVATION OF SPEAKER REGARDING CALLING ATTENTION.

अध्यक्ष—मेरे पास ध्यानाकर्षण की तीन सूचनाएं आयी हैं और उसमें मैंने श्री कपिलदेव सिंह की सूचना को स्वीकार किया है। इसमें मुजफ्फरपुर जिले के नानपुर प्रखंड के अन्तर्गत बी० डी० ओ० द्वारा किए गए अत्याचार और ज्यादती के बारे में कहा गया है। इसका उत्तर सरकार कब देगी ?

श्री महेश प्रसाद सिंह—२१ तारीख को रखा जाय ।

श्री रामलखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कि ध्यानाकर्षण की जो हमलोग सूचना देते हैं, इसपर जो सरकारी वक्तव्य होता है, वह एक तरफा होता है। ध्यानाकर्षण की सूचना देना सदस्यों के लिये एक बहुत बड़ा अधिकार है लेकिन तजुर्बा बताता है कि जो भी वक्तव्य लिखित आता है, उसी को माननीय मंत्री या उप-मंत्री पढ़ देते हैं। मंत्री या उप मंत्री महोदय को इसमें सदस्यों के मनोभाव को ज्यादा-से-ज्यादा समझने की गुंजाइश रखनी चाहिये थी लेकिन हम ऐसा नहीं पाते हैं। गलत या सही जो भी उत्तर आता है, उसे ये पढ़ देते हैं और सदस्यों को इस पर पूरक पूछने का अधिकार नहीं रहता है। इसलिये मैं इसे एकतरफा कहता हूं। इसलिये मैं चाहूंगा कि हमलोगों के मन में जो भावना उठती है, उसको समझकर और उसी दृष्टिकोण से वक्तव्य दिया जाय ?

सहकारिता के आधार पर काम होना शुरु हो जाय तो हमारे विभाग से जितनी भी मदद मिल सकती है उसको हम देने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपलोगों को धन्यवाद देते हुए अब मैं अपना भाषण खतम करता हूं।

कटौती प्रस्ताव: सरकार की सहकारिता नीति।

CUTMOTION : CO-OPERATION POLICY OF GOVERNMENT.

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

The Item of Rs. 15,600 for "Direction-Registrar" be omitted. To discuss the Co-opration policy of Government.

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि को-आपरेटिव मिनिस्टर श्री कृष्णवल्लभ सहाय ने बताया कि सहकारिता आन्दोलन का विकास अपने देश में को-आपरेटिव की सफलता के लिए आवश्यक है, यह ठीक ही है कि किसी भी जनतांत्रिक और समाजवादी आन्दोलन सहकारिता का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। सहकारिता आन्दोलन उतना सबल और सशक्त होगा जितना ही उसे कारगर किया जायेगा और वह ऐसा करने से बड़े पैमाने पर जनता की सेवा कर सकेगा और उसी अनुपात से अपने देश और संसार के किसी भी देश के समाजवाद और जनतंत्र की सफलता हो पायेगी। पर दुर्भाग्यवश वर्षों से कांग्रेस सरकार की ऐसी नीति रही है कि अपने देश में सहकारिता आन्दोलन को सफल बनावे, पर सरकार इसमें असफल रही है। आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन का क्षेत्र सहकारिता का विस्तार करके ही किया जा सकता है किन्तु इसके करने में यह सरकार बुरी तरह असफल रही है। यह ठीक है कि माननीय मंत्री ने भिन्न-भिन्न सहकारिता समितियों के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और जैसा उन्होंने बतलाया है कि बिहार राज्य के ग्रामों में पिछले वर्षों में जिस प्रकार से उन्नति हुई है उस पर अगर हम तुलनात्मक दृष्टि से विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि बिहार में सहकारिता आन्दोलन बहुत पीछे है। शायद हिन्दुस्तान में जितने बड़े राज्य हैं सबों में बिहार राज्य ही पीछे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं।

श्री रामानन्द सिंह—मेरा प्वायन्ट ऑफ ऑर्डर है। वह यह है कि उप-मंत्री श्री कमलदेव नारायण सिंह मुख्य मंत्री की सीट पर बैठे हैं।

उपाध्यक्ष—माननीय उप-मंत्री उस सीट को छोड़कर बैठे हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—उपाध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से हर वर्ष एक स्टेटिसटिकल स्टेटमेन्ट निकलता है रिलेटिंग टू को-आपरेटिव मुवमेन्ट इन इंडिया। १९६२ के अन्त में यह स्टेटमेन्ट प्रकाशित किया गया था और उसके बाद फिर प्रकाशित नहीं किया गया। इसलिए मैं १९६२ के ही स्टेटमेन्ट से कुछ अंश उद्धृत करना चाहता हूं।

नम्बर ऑफ प्राइमरी सोसाइटीज।

आन्ध्र ३३ लाख ३८ हजार, गुजरात १७ लाख ७७ हजार, मध्यप्रदेश १२ लाख १२ हजार, मद्रास ४१ लाख ७३ हजार, महाराष्ट्र ४० लाख ८१ हजार, मैसूर २४ लाख १८ हजार, पंजाब १९ लाख ८५ हजार, यू० पी० ६८ लाख ६९ हजार, वेस्ट बंगाल १८ लाख ३६ हजार और बिहार १७ लाख १६ हजार।

मैंने दस राज्यों का आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत किया और उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि एम० पी० को छोड़कर बिहार राज्य मेम्बरशिप में बहुत पीछे है।

प्राइमरी सोसाइटी ने जो लोन ऐडवान्स किया है उसका भी आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं।

आन्ध्र २५ करोड़, ४४ लाख १७ हजार, गुजरात ३७ करोड़, ३४ लाख ६३ हजार, मध्यप्रदेश १९ करोड़, २० लाख ३५ हजार, मद्रास ४६ करोड़ ६२ लाख १४ हजार, महाराष्ट्र ८९ करोड़, ६० लाख ३३ हजार, मैसूर २६ करोड़, ४० लाख, २० हजार, पंजाब १२ करोड़, ७८ लाख ५९ हजार, यू०पी० ३२ करोड़, २० लाख ८७ हजार, वेस्ट बंगाल २८ करोड़ ११ लाख ६० हजार और बिहार ५ करोड़ १६ लाख ३ हजार सिर्फ।

हमारे कहने का मतलब है कि इस मामले में भी बिहार सबसे पीछे है।

अब एमाउन्ट ऐडवान्स्ड फौर मेम्बर्स कितना है उसको मैं कहना चाहता हूं।

आन्ध्र ८४ रु०, गुजरात २२९ रु०, मध्यप्रदेश १७१ रु०, मद्रास १२२ रु०, महाराष्ट्र २३१ रु०, मैसूर ११४ रु०, पंजाब ७० रु०, यू०पी० ६४ रु०, वेस्ट बंगाल १३२ रु० और बिहार केवल ३७ रु०।

इस मामले में भी बिहार सबसे पीछे है। उपाध्यक्ष महोदय, और भी सारे आंकड़ों को मिलाया जाय तो पता चलेगा कि बिहार राज्य सबसे पीछे है।

अगर जनसंख्या के हिसाब से लें तो पता चलेगा कि आन्ध्र की जनसंख्या ३ करोड़ ५९ लाख ८० हजार है तो नम्बर ऑफ प्राइमरी सोसाइटी ७४.२९ है। मेम्बरशिप पर वन थाउजेन्ड है ६२.७१, वर्किंग कैपिटल पर हेड है ३६.३२, जबकि वहां पर वर्किंग कैपिटल है ३० करोड़ ६० लाख ४ हजार। गुजरात, मध्यप्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब और वेस्ट बंगाल को देखें तो करीब-करीब ऐसा ही है लेकिन जब बिहार को देखेंगे तो पता चलेगा कि बिहार राज्य सबसे पीछे है। मुझे थोड़ा समय लगेगा सभी आंकड़ों को सुनाने में, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूं जिससे एक आइडिया हो जाय कि दरअसल में हम कहां पर खड़े हैं। गुजरात की जनसंख्या है २ करोड़ ६३ लाख, नम्बर ऑफ सोसाइटी पर वन लाख ६७.६६, मेम्बर पर वन थाउजेन्ड ६६.०८, वर्किंग कैपिटल पर हेड ७४.३२, वर्किंग कैपिटल इन करोड़ ८३ करोड़ ३७ लाख ८३ हजार। मध्यप्रदेश की जनसंख्या है ३ करोड़ २३ लाख ७० हजार, नवम्बर ऑफ सोसाइटी है ८९.८०, मेम्बर पर वन थाउजेन्ड ३८.१०, वर्किंग कैपिटल पर हेड २१.८७ वर्किंग कैपिटल इन करोड़ २३ करोड़, ९४ लाख ८६ हजार। मद्रास की जनसंख्या है ३ करोड़ ३६ लाख ९० हजार, नम्बर ऑफ सोसाइटी ५४.७६, मेम्बरशीप १२३.८६, वर्किंग कैपिटल पर हेड ४८.४ और वर्किंग कैपिटल इन करोड़ ३० करोड़ १२ लाख ८० हजार। महाराष्ट्र की जनसंख्या है ३ करोड़ ५९ लाख ५ हजार, नम्बर ऑफ सोसाइटी ७९.८१, मेम्बर पर वन थाउजेन्ड १०३.२०, वर्किंग कैपिटल पर हेड ७३.५७, वर्किंग कपिटल इन करोड़ ५९ करोड़ ६० लाख ९३ हजार। इस प्रकार से पंजाब, यू०पी० और वेस्ट बंगाल भी इससे कम नहीं

है, लेकिन बिहार राज्य को देखें तो पता चलेगा कि वह पीछे है। जितने राज्यों का नाम मैंने लिया उनमें यू० पी० को छोड़कर बिहार की जनसंख्या सबसे अधिक है यानी बिहार की जनसंख्या ४ करोड़ ६५ लाख है। नम्बर ऑफ सोसाइटी ६४.०१, मेम्बरशीप पर वन थाउजेन्ड ३७.०१, वर्किंग कैपिटल पर हेड ५.६१ , वर्किंग कैपिटल वन करोड़ ४ करोड़ ३० लाख ८४ हजार है। उपाध्यक्ष महोदय, पेड-अप कैपिटल, स्टेटुटरी रिजर्व, फिक्स्ड डिपोजिट, और अपर डिपोजिट्स को देखें तो एक ही भाव है। ऐसा लगता है कि हमारे बिहार राज्य में सहकारिता आन्दोलन कई वर्षों से पिछड़ा रहा है। अगर आप औडिट की बात देखें तो १९६०-६१ साल में आन्ध्र में पेंडिंग औडिट ऐट दी बिगनिंग ऑफ दी इयर २६, औडिटेड ड्यूरिंग दी इयर २६ है।

मद्रास में १५ पेंडिंग और १५ ओडिटेड, महाराष्ट्र में ३५ पेन्डिग और ३५ औडिटेड, मैसूर में २४ पेन्डिग और २४ औडिटेड, पंजाब में ४६ पेन्डिग और ४२ औडिटेड, उत्तर प्रदेश में ५६ पेन्डिग और ५६ औडिटेड, वेस्ट बंगाल में ३० पेन्डिग और २७ औडिटेड हैं। बिहार इसमें भी बहुत पीछे है। यहां ३५ पेंडिग और २७ औडिटेड हैं। हम नहीं जानते कि इन पिछले वर्षों में बिहार सरकार का सहकारिता विभाग क्या करता रहा है। हमारे सामने जो आंकड़े हैं उनसे स्पष्ट रूप से पता चलता कि हमें भी दौड़ना है और तेजी से दौड़ना है तभी जाकर हम बिहार राज्य को कम-से-कम हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों के मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं। यों तो सहकारिता आन्दोलन का खाका ही सारे देश में कुछ अच्छा नहीं है यदि हम इसकी तुलना दूसरे देशों से करें जो इस क्षेत्र में विकास करते रहे हैं जैसे इजराइल, डेनमार्क, नौरवे, स्वेडन, फिनलैंड इन देशों से कोई तुलना नहीं की जा सकती। हिन्दुस्तान के सहकारिता विभाग में जो कुछ विकास हुआ है उसे देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि इसमें हमारा बिहार बहुत पीछे है। अगर हम इस खाई को दूर करना चाहते हैं तो बहुत तेज कदम से चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अबतक सहकारिता विभाग के आन्दोलन में जो विफलता रही है इसके कारण क्या हैं। इन कारणों का उल्लेख करते हुए रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके तीन बड़े कारण हैं। पहली कैटेगरी के जो हैं उनका नाम है डिप्युटेड कॉलेज, दूसरी का डीपर कॉलेज और तीसरी कैटेगरी का नाम है फंडामेन्टल कॉलेज। डिप्युटेड कॉलेज वे हैं जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बातों से संबंध रखते हैं, औरगनाइजेशनल बातों से संबंध रखते हैं जो ऐडमिनिस्ट्रेटिव बातों से संबंध रखते हैं। डीपर कॉलेज और फंडामेन्टल वे हैं जो हमारे बिहार में बल्कि हमारे देश में सोशियो इकोनोमिक कंडीशन्स हैं, स्ट्रक्चर हैं जो पुराने ढंग के गांव हैं और गांव में अमीर और गरीब का भेद है जो गांव के भीतर बिखरे हुए हैं और जो लोग बेकार रहते हैं जिससे उद्योग-धंधों का विकास नहीं होता इन सारी बातों से संबंध रखते हैं। हमारा ऐसा अनुभव है कि पिछले कई वर्षों में इन कारणों को दूर करने का कोई उपाय नहीं किया गया है, चाहे वह स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल ढंग की कठिनाई हो या औरगेनिजेशनल ढंग का कठिनाई हो या सोशियो इकोनोमिक कालेज हो या डीपर कालेज हो हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि कोई क्रांतिकारी कदम सरकार की तरफ से इस संबंध में नहीं उठाया गया जो इन कारणों का उन्मूलन कर सके और सहकारिता आन्दोलन को सही सांचे में ढाल सके। ऐसे तो बिहार के सहकारिता आन्दोलन के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ऐडमिनिस्ट्रेटिव है और अन्डरफाइनेन्स है। यहां के ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हाइएस्ट हैं लेकिन परफौरमेन्स लोएस्ट हैं। दूसरी योजना में जितने रुपए सहकारिता की मद में रख गये, जितने रुपए का उपबन्ध किया गया था, हमारे सहकारिता मंत्री कबूल करेंगे

कि उनका २४ परसेन्ट कम खर्च हुआ है। जहां तक सप्लीमेन्टरी उपबन्ध की बात है उस पर दृष्टिपात किया जाय तो पता चलता है कि ४० परसेन्ट बचा रह गया। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का हाल क्या है? इसमें सहकारिता के मद में जितने रुपये का उपबन्ध किया गया है, पिछले दो वर्षों में तीसरा वर्ष भी इस योजना का शुरू हो गया है, उसका २६ प्रतिशत खर्च करना था लेकिन सहकारिता मंत्री इसे भी कबूल करेंगे कि यह भी खर्च नहीं हो पाया है। इसमें भी धीमी गति है, हम उतना काम नहीं कर पाये हैं, हम नहीं जानते हैं कि क्या काम हो रहा है। दूसरी योजना में रुपए रखे गये लेकिन खर्च नहीं कर पाये और तीसरी पंचवर्षीय योजना में २६ प्रतिशत का उपबन्ध था तो वह भी नहीं खर्च कर पाये। आखिर इतनी धीमी गति से जो हम चल रहे हैं इसका कारण क्या है? क्या सरकार मानती है कि वह अक्षम्य है, क्या सरकार कोई काम करने में बिल्कुल असमर्थ है, अयोग्य है, क्या है? कहीं तो आर्थिक संकट की बात कही जाती है, कहीं रुपए का अभाव बतलाया जाता है, कहीं कहा जाता है कि खजाना खाली है और जो रुपए की व्यवस्था होती है उसे सरकार खर्च करने में असमर्थ रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक सम्मेलन हुआ था सहकारिता विभाग के राज्य मंत्रियों का लगभग दो वर्ष पहले। उसमें निर्णय किया गया था कि हमारे देश के पूर्वी क्षेत्र जिसमें बिहार, बंगाल, आसाम और उड़ीसा पड़ता है उन राज्यों में सहकारिता आन्दोलन बहुत पीछे पड़ा हुआ है यहां बहुत कम विकास हुआ है और इसमें सहायता देने की आवश्यकता है।

(उपाध्यक्ष महोदय ने लाल बत्ती दिखलाई)

अभी तो हम कुछ कह भी नहीं पाये हैं। वैसे आप कहें तो हम बैठ जायं, इसलिए कि हमें कोई ऐसी दिलचस्पी बोलने से नहीं है।

उपाध्यक्ष—जो मांग पेश की गयी है उससे अधिक नहीं जायं। यह केवल चेतावनी

थी।

श्री कर्पूरी ठाकुर—नो वार्निंग एट दिस स्टेज।

तो मैं कह रहा था कि उस सम्मेलन में फैसला हुआ था कि सहायता दी जायेगी केन्द्रीय सरकार की तरफ से। हम सहकारिता मंत्री से उत्तर चाहेंगे कि दो वर्ष पहले जब सम्मेलन में निर्णय हुआ तो आपने क्या सहायता के लिए प्रस्ताव कभी भेजा और यदि भेजा तो सहायता मिली या नहीं? उपाध्यक्ष महोदय, हमें सूचना है और मेरी जानकारी है कि आज से ३, ४ महीने पहले तक एक भी प्रस्ताव बिहार सरकार की तरफ से नहीं भेजा गया जबकि पूर्वी क्षेत्र में बिहार भी है। इससे करोड़ों रुपए सहायतामें मिल सकते थे जिनसे सहकारिता आन्दोलन को मजबूत बनाया जाता। लेकिन इससे बिहार राज्य वंचित रह गया। मैं जानना चाहूंगा कि बिहार क्यों सोया रह गया और आपने इससे लाभ क्यों नहीं उठाया। उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री ने ठीक ही कहा है कि बिहार में २९,७२९ सहकारिता समितियां हैं। मेरा अपना ख्याल है कि लगभग ३०,००० समितियों में ७,००० बिल्कुल डिफंक्ट (defunct) हैं, मुर्दा हैं। कोई काम इनके द्वारा नहीं हो रहा है। इसके अलावे लगभग ५० प्रतिशत समितियां ऐसी हैं जो नफे का काम नहीं करती जैसे-तैसे वे समितियां भले हो काम करती हों, लेकिन कोई फायदा सदस्यों को नहीं पहुंचाती। एक चौथाई ऐसी समितियां हैं जो घाटे पर चल रही

हैं। अगर समितियां ऐसी हैं कि हजारों-हजार समितियां मुर्दा हैं, या विभाग मुर्दा है तो क्या आपका विभाग उनमें जान नहीं ला सकता? अगर नहीं तो फिर ऐसी समितियों को लाभ क्या?

उपाध्यक्ष महोदय, एक बुनियादी बात यह है कि बिहार सरकार में या यों कहिए कि सारे देश में सहकारिता आन्दोलन को अफसरों के हाथ में रखा गया है। आपने चेतावनी दी है वरन् मैं आपको दिल्ली में जो कोऑपरेटिव कांफ्रेंस दो तीन वर्ष पहले हुई थी और हमारे प्रधान मंत्री ने जो कंफेशन किया था उनके शब्दों को आपके सामने रखता। उन्होंने कहा था कि हमारा जो सहकारिता आन्दोलन है वह अफसरों के हाथ में जा रहा है या चला गया है।

मूभमेन्ट को बिल्कुल औफिशियलाइज्ड कर दिया गया है। आज जरूरत इस बात की है कि मूभमेन्ट को डीऔफिशियलाइज्ड किया जाय। इस मूभमेन्ट का अराजकीयकरण किया जाय। लेकिन अराजकीयकरण के बदले इस सहकारिता विभाग का राजकीयकरण हो रहा है। यह औफिशियल के अन्दर चला जाता है। रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक यह हुआ था कि स्टेट पार्टनरशिप होगा। उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट का पार्टनरशिप इस हद तक हो रहा है कि हमारे यहां जो मार्केटिंग बैंक है वहां ६ साल पहले बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर नौमिनेटेड हुआ और आजतक जितने शेयरहोल्डरस हैं उनकी एक भी ऐनुअल जेनरल मीटिंग नहीं बुलाई गयो। आपने क्यों मीटिंग नहीं बुलाई, इसका क्या कारण है? बिहार राज्य में जैसा हुआ वैसा देश के किसी राज्य में भी नहीं हुआ है। देश के किसी राज्य में नौमिनेटेड बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर नहीं है लेकिन बिहार राज्य तो शिवजी का त्रिशूल है, किसी भी राज्य में नौमिनेट बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स नहीं हैं लेकिन बिहार राज्य में है। ६ साल हो गया बैठक बुलाई नहीं गयी। यह बहुत बड़ा अन्धेर है। सारे को-आपरेटिव भूभमेन्ट को ऑफिशियलाइज्ड करने की कोशिश की गयी है। अगर इस तरह से चला तो यह मूवमेन्ट आगे बढ़ने वाला नहीं है।

२ साल पहले रीभाइटलीजेशन स्कीम चालू की गयी और रीभाइटलीजेशन के नाम पर केन्द्रीय सरकार से जो भी सहायता मिलने वाली थी उस काम का अभी तक प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। मैं जानना चाहूंगा कि जो काम २ साल पहले प्रारम्भ होने वाला था वह बिहार राज्य में अभीतक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया अगर हुआ तो इसका नतीजा क्या हुआ? मैं इसको जानना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, तृतीय पंचवर्षीय योजना में शीर्ट टर्म लोन में २७.३०, मीडियम टर्म के अन्दर १०.७० और लौंग टर्म में ५ करोड़ रुपया बांटना है लेकिन जिस माध्यम से आप इसे कर रहे हैं मेरा विश्वास है कि उनके रुपये पड़े रहे जायेंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २० करोड़ रुपया बांटना था लेकिन २० करोड़ के बदले ९.१० करोड़ रुपया सिर्फ बांट सके, बाकी रुपया पड़ा रह गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन दो साल के अन्दर जितने रुपये बांटे गये टारगेट से कम ही किया गया है। मेरा विश्वास है कि रुपये पड़े रह जायेंगे। इस तरह आप जनता के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान में प्रचार किया गया कि खेती की पैदावार को बढ़ायें और बढ़ायें सहकारिता के माध्यम से। अधिक कर्ज देना है, बीज देना है, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट देना है लेकिन खेद की बात है कि रुपये रहते हुए रुपए नहीं बांटे जा सके। २ वर्षों के अन्दर इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में आपने क्या किया है? यह मैं जानना चाहूंगा, सहकारिता मंत्री से, कि क्रेडिट जो रुपए दिए जाते हैं उनको लिंक अप किया जाता है प्रोडक्शन के साथ, मार्केटिंग के साथ? सहकारिता चलाने वालों

का कहना है कि एग्रिकल्चरल ऋण दिए गए इसलिए कि उसको प्रोडक्शन से लिंक अप किया जाय, इसलिए कि मार्केटिंग से लिंक अप किया जाय, पर इस संबंध में कोई छान-बीन नहीं हुई कि उसको प्रोडक्शन के साथ, मार्केटिंग के साथ लिंक अप किया गया या नहीं या उस रुपए को शादी विवाह में लगा दिया गया, जनेऊ में लगा दिया गया, श्राद्ध लें लगा दिया गया, या उसको पोडक्शन से, मार्केटिंग से लिंक अप किया गया।

लैंड मौरगेज बैंक के वारे में मैंने कहा कि इसका लौंग टर्म टारजेट है लेकिन जो रुपए दिए गए थे वे सब खतम हो गए और आज उसमें एक पैसा भी नहीं है जो किसानों को दिया जा सके। आंकड़ा सहकारिता मंत्री ही वता सकते हैं लेकिन मेरी जानकारी है, बिहार में १७ जिले हैं, आप किसी जिले में चले जायं हर जिले में सैकड़ों दर्खास्तें पड़ो हुई हैं, उनपर कोई कार्रवाई नहीं हो रहो है इसलिये कि उनके पास रुपए नहीं हैं। माननीय सदस्य श्री रमेश झा ने कहा है कि सहरसा जिले में एक आदमी को रुपया मिला है जब से यह कायम हुआ है।

पोटैटो प्रोडेक्टिव एरिया है उसमें ५ कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने की बात है लेकिन एक भी कोल्ड स्टोरेज अभीतक कायम नहीं किए गए हैं। दो साल गुजर गए, तीसरा साल भी शुरू हो गया है इसलिए मैं जानना चाहूंगा, सहकारिता मंत्री से, कि पोटैटो ग्रोइंग एरिया से आप क्यों विगड़ गए हैं? आप कहते हैं कि खूब पोटैटो पैदा करो, इस इमरजेन्सी के नाम पर तो और जोर लगाए हुए हैं लेकिन वह योजना खटाई में डाल दी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सहकारिता मंत्री ने बताया, लेकिन मेरा अनुभव है और उसके आधार पर कहता हूं कि अभीतक विहार में को-आपरेटिव का विकास हो ही नहीं पाया है। यहां जितने माननीय सदस्य हैं वे अपने-अपने क्षेत्र को बात बता सकते हैं कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का काम ठीक ढंग से हुआ और उसका उचित दाम किसानों को मिला? ये किसानों को इसके द्वारा प्रोत्साहन देते, उनको उचित दाम मिले इसके वास्ते मार्केटिंग को-आपरेटिव को प्रोत्साहन देते, यह अत्यावश्यक माना गया है लेकिन ये मार्केटिंग को-आपरेटिव का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में जो किसान हैं उनको उचित दाम नहीं मिल रहा है। जूट के बारे में माननीय मंत्री ने बताया कि जो काम हुए हैं वे नगन्य हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि काम क्यों नहीं हुआ? ये कहते हैं कि जूट कॉरपोरेशन से रुपया मिलने में देर हुई इससे परेशानी हो रही है लेकिन इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए किसान दोषी नहीं हैं। मेरा ख्याल है कि अगर किसान बेचैन हैं और इनका प्लान भी बेचैन है, सुनियोजित विकास नहीं हुआ है तो जरूरत है कि हर जिले में हर क्षेत्र में ज्यादा-से-ज्यादा कार्रवाई इसके लिए करें। कुछ दिन पहले इस संबंध में निर्णय हुआ था, इस संबंध में मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था उसमें रजिस्ट्रार की भी मीटिंग हुई थी, कि को-आपरेटिव को चलाया जायगा लेकिन इस संबंध में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। केन्द्रीय सरकार ने योजना चलायी थी कि को-आपरेटिव के माध्यम से वार्कर्स सेक्शन में को-आपरेटिव चलाने के लिए ९ लाख रुपए की जरूरत होगी लेकिन दो साल गुजर गए कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया। हाल में एक लिस्ट तैयार करके सहकारिता विभाग से केन्द्रीय सरकार को भेजी गयी है लेकिन रूल्स अभीतक फ्रेम नहीं किया गया है इसलिए आजतक एक पैसा भी अनुदान वोकर्स सेक्शन को-आपरेटिव सोसाइटी को नहीं दिया जा सका। सहकारिता मंत्री कहते हैं कि क्रेडिट बैंक के जरिए सहायता करना चाहते हैं लेकिन दो साल हो गए बिहार को एक पैसा भी नहीं मिला, यह रुपया तो इन्हें देना भी नहीं था, यह रुपया तो केन्द्रीय सरकार देती लेकिन नहीं मिल सका। सहकारिता के माध्यम से खर्च होना चाहिए। सहकारिता को मदद देने के लिये रूल

बनाया जाता है लेकिन यह सिर्फ कागज पर ही रह जाता है। सहकारिता के द्वारा जिस वीकर सेक्शन को फायदा होता, उसको फायदा नहीं होता है चूंकि ये पैसा नहीं देते हैं। सहकारिता सोसाइटी का जो बाईलौज बनाया गया है, वह बिल्कुल अनडिमोक्रेटिक है। सहकारिता सोसाइटीज के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं, उनको सर्वेसर्वा होना चाहिये था लेकिन हम ऐसा नहीं देखते हैं। अगर आप सोसाइटी का विकास चाहते हैं, तो आप इसे जनतांत्रिक बनाने के लिये चेयरमैन, सेक्रेटरी और इसके सदस्यों को सर्वेसर्वा मानिये। नन-आफिसियल के द्वारा ही इसके सभी काम किये जायं। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में जो काम अभी हो रहा है, उसमें सारा अधिकार ऑफिशियल लोगों को दे दिया गया है जिससे विकर सेक्शन को फायदा नहीं पहुंच पाता है। आपके यहां एग्रीक्लचर रीलिफ फंड क्रिएट किया गया है लेकिन रूरल सर्वे के मुताबिक अभीतक कोई कार्य नहीं किया गया है। इसका काम भी ठप पड़ा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी योजना में इरिगेशन को-आपरेटिव सोसाइटी बनाने की योजना थी और इसके लिए ४ करोड़ रुपया दी जाने वाली थी लेकिन अभीतक इस ओर भी कोई कदम सरकार की ओर से नहीं उठाया गया है। अपने प्रान्त में इस तरह की कोई सोसाइटी अभीतक खड़ी हुई है या नहीं, यह मैं ठीक से नहीं जानता हूं लेकिन इतना जानता हूं कि अगर इस तरह की कोई सोसाइटी खड़ी भी हुई है तो उसे एक पैसे की भी मदद नहीं दी गयी है। आप जो योजना बनाते हैं, उसमें नीति का पालन नहीं किया जाता है। आपको चाहिये कि योजना बनाने के पहले ही गैर-सरकारी संस्थाओं से सलाह लें, उनसे पूछताछ करें, इत्यादि। सहकारिता के क्षेत्र में जो उनके प्रतिनिधि हों, उनको बुलाकर आपको पूछना चाहिये कि हम इस तरह की योजना बनाना चाहते हैं इसमें आपकी क्या राय है। उनके सुझाव लेने के बाद ही कोई योजना आपको बनानी चाहिये तभी वह योजना सक्सेसफुल होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आप किसी से पूछताछ नहीं करते हैं और आपके जो अफसर हैं, वहीं खुद बैठकर एक योजना बना लेते हैं और इसका नतीजा होता है कि वह कार्यान्वित नहीं हो पाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता के क्षेत्र में हम देखते हैं कि वित्त विभाग भी एक बहुत बड़ा बाधा उपस्थित कर देता है। सहकारिता विभाग से जब कोई योजना मार्च के पहले भेजा जाता है, उस पर भी वह विलम्ब लगा देता है और बिना वित्त विभाग की स्वीकृति के मोहर लगे हुए उसे कैसे कार्यान्वित किया जा सकता है। इसकी वजह से जहां १ अप्रील से कोई योजना कार्यान्वित होने वाली रहती है, नहीं हो पाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन में हमारे वित्त मंत्री महोदय नहीं है, मुझे उनसे कहना था कि सहकारिता विभाग से जो योजना जाय, उसकी स्वीकृति यदि वे देना चाहें तो ३१ मार्च के पहले ही दे दें।

उपाध्यक्ष—शांति, शांति। आप अपना भाषण संक्षेप करें।

श्री कर्पूरी ठाकुर—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सहकारिता विभाग में जो अफसर और

अधिकारी हैं, उनके जिम्मे दो काम है। एक एक्जीक्युटिव का काम और दूसरा जुडिशियल का काम लेकिन जुडिशियल की ट्रेनिंग उन्हें नहीं दी जाती है।

हो सकता है एक-दो को जुडिशियल ट्रेनिंग मिली हो लेकिन बहुत सारे अफसरों को नहीं मिली है। हमारा सुझाव है कि अपील सुनने का जो अधिकार रजिस्ट्रार को है उसे छीन लिया जाय और वह अधिकार किसी जज को दिया जाय। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को

जुडिशियल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है जिससे वहुत से मामले में न्याय नहीं हो पाता है, पक्षपात होता है इसलिए मेरा सुझाव है कि अपील सुनने का अधिकार जज़ को दिया जाय जो को-आपरेटिव केसेज को सुने और उस संबंध में अपना फैसला दिया करे। हमारे यहां जो को-आपरेटिव फेडरेशन चलता रहा है अभी तक उसके चेयरमैन मंत्री हुआ करते थे। खुशी की बात है कि वहुत कोशिश और दबाव के वाद यह फैसला हुआ कि कोई भी मिनिस्टर को-आपरेटिव इन्स्टीच्युशन का पदाधिकारी नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी को-आपरेटिव फेडरेशन का काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अगर को-आपरेटिव आन्दोलन को क्वालिटी देनी है, केवल सोसाइटीज की संख्या नहीं बढ़ानी है, अगर इसे कारगर और मजबूत बनानी है, काम करने लायक बनाना है तो क्वालिटी लाने के लिए ट्रेनिंग और एडुकेशन का काम बड़े पैमाने पर होना चाहिये। अभीतक जो ट्रेनिंग और एजुकेशन का काम हुआ है वह बिल्कुल ही अप्राप्य है। इसलिए हमारा सुझाव है कि अगर को-आपरेटिव आन्दोलन में क्वालिटी लानी है तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बदलना पड़ेगा, इसे नन-आफिशियल के हाथ में सौंप देना पड़ेगा और अगर लीडरशिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करनी है तो बड़े पैमाने पर ट्रेन्ड परसोनेल तैयार करने के लिए आफिशियल और नन-आफिशियल में ट्रेनिंग और एजुकेशन का काम चलाना पड़ेगा। जिन-जिन देशों में सहकारिता सुचारुरूप से चला है वहां ट्रेनिंग और एजुकेशन का काम वहुत बड़े पैमाने पर किया गया है, सेरोज आँह्व सेमिनार्स करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, सबडिविजनल, ब्लॉक लेवेल पर, वहां वे विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, अनुभव का आदान-प्रदान करते हैं इसलिए ट्रेनिंग और एजुकेशन और सेमिनार के काम को फैलाया जाय। इनपर काफी महत्व दिया जाय। को-आपरेटिव फार्मिंग के बारे में नहीं कहना ही अच्छा होगा, इस सरकार से यह काम नहीं होने वाला है। भले कागज पर इसका प्रोग्राम रख दिया गया है लेकिन यह होगा इसका विश्वास नहीं है। पूसा क्षेत्र में नन-ऑफीशियल ढंग से बड़े पैमाने पर काम करने के लिये तीन साल से हमलोगों ने अथक प्रयास किया, दर्जनों बार आपके को-आपरेटिव रजिस्ट्रार से मुलाकात की, पुराने को-आपरेटिव मिनिस्टर से मुलकात की। सेक्रेटरी से मुलाकात की, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की और आखिरी मुलाकात वर्त्तमान मंत्री से भी ....

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—हमसे कब मिले?

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं नहीं, श्री रामशरण उपाध्याय, द्वारिका सिंह आदि आपसे

मिले लेकिन इसका बाइलाज अभीतक फाइनालाइज नहीं हुआ। वहां को-आपरेटिव फार्मिंग तैयार कर चुके लेकिन आप काम को वढ़ाना नहीं चाहते हैं और अगर यही ढंग काम करने का है तो सहकारिता आन्दोलन का विकास संभव नहीं है गो कि मैं स्पेसिफिक इन्स्टान्स देना चाहता हूं कि किस तरह से इनके डिपार्टमेन्ट का काम होता है वारिस-नगर थाने में एक व्यापार मंडल है। हमारे वशिष्ठ बाबू चार साल से इसके लिये अथक परिश्रम कर रहे हैं। इसका मकान बना हुआ है, तीन साल में १५ बार लिखा गया सी० एम० को, पुराने सहकारिता मंत्री को और को-आपरेटिव के रजिस्ट्रार को, जिलाधीश दरभंगा को और दो-तीन वार माननीय सहकारिता मंत्री को हमारे श्री बशिष्ट-नारायण सिंह ने लिखा था, मैंने भी जो इसके पुराने मंत्री थे उनको और मुख्य मंत्री को लिखा कि ग्रेन का स्टाकिस्ट व्यापार मंडल को नहीं बनाया गया और एक व्यक्ति विशेष को बनाया गया जिससे वह मुनाफा उठा सके। उपाध्यक्ष महोदय, वारिसनगर थाने

के मनिआरी में एक को-आपरेटिव सोसाइटी है वह अपने गांव के लोगों के लिये गल्ले की दूकान खोलना चाहती थी। वारिसनगर के बी०डी०सी० ने भी इसके लिये प्रस्ताव पास करके भेजा लेकिन गल्ले की दूकान चलाने की स्वीकृति नहीं मिली। मैं जानता हूं कि दर्जनों ऐसे को-आपरेटिव हैं जिनका प्रयास हो रहा है कि उन्हें गल्ले को दूकान चलाने का जिम्मा दिया जाय लेकिन उन संस्थाओं को अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि इस ढंग से आपका काम चलेगा तो काम कैसे आगे बढ़ेगा ? जहां आप कहते हैं कि हम को-आपरेटिव के आन्दोलन को बढ़ाना चाहते हैं, तेजी से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जैसाकि पंजाब के एक रजिस्ट्रार ने को-आपरेटिव आन्दोलन को कामयाब बनाने के लिये अपना एक सुझाव दिया है कि को-आपरेटिव का रजिस्ट्रार उसे होना चाहिये जो कम-से-कम दस साल तक फील्ड का अनुभव प्राप्त किया हो। मैं किसी रजिस्ट्रार को शिकायत नहीं करता लेकिन जो सुझाव उसने भारत सरकार के पास भेजा है उसी को आपके सामने रख रहा हूं। सुझाव यह है कि जब दस साल के फील्ड का अनुभवी व्यक्ति रजिस्ट्रार का काम करेगा तो आपका काम अच्छे ढंग से चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इसके लिये सुटेबुल ट्रेडर्स एंड इंडिपेंडेंट ट्रेडर्स को बिल्ड अप किया जाय और किस प्रकार के लोगों को इसमें रखा जाय इस पर विचार किया जाय। आज नीचे से ऊपर के अफसर उसमें व्यक्तिगत अच्छे भी हो सकते हैं, काबिल भी हो सकते हैं लेकिन यदि आप को-आपरेटिव के आन्दोलन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, को-आपरेटिव आन्दोलन का तेजी से विकास करना चाहते हैं तो औफिशियल और नन-ऑफिशियल्स को जो इस काम के अनुभवी हों उनको रखना चाहिये ताकि यह आन्दोलन सही ढंग से चल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि को-आपरेटिव आन्दोलन को चलाने के लिये सही माने में डिआफिशियलाइज करने की जरूरत है। को-आपरेटिव आन्दोलन में बोल्ड स्पीरिट लाने की जरूरत है। यदि को-आपरेटिव आन्दोलन में आप जीवन संचार करना चाहते हैं, उसे सबल बनाना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से चल रहे हैं उसको बन्द करके नये रास्ते को अपनावें और ऐसे रास्ते को अपनावें जिससे काम हो सके। मेरा ख्याल है कि सरकार का काम करने का, को-आपरेटिव फार्मिंग चलाने का जो तरीका या रंग-ढंग है वह गलत है इसलिये अगर सरकार को-आपरेटिव फार्मिंग को चलाने के लिये तैयार है और कंज्यूमर्स को-आपरेटिव सोसाइटी को सहूलियत देना चाहती है तो जनतांत्रिक पद्धति को अपनावें। आपने कहा है कि स्टेट कैपटिल्जम नहीं चाहते हैं, कम्युनिज्म नहीं चाहते हैं तो आप जिस ढंग से चल रहे हैं उससे स्टेट कैपटिलिज्म भी रहेगा और कम्युनिज्म भी कायम रहेगा। इसलिये मैं पूर्णविश्वास के साथ यह कहना चाहता हूं कि आप को-आपरेटिव के जरिये जनता को सुविधा देना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस आन्दोलन को डिआफिशियलाइज करना होगा और जब ऐसा आप करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हम सही दिशा में चल रहे हैं और जनता की मांग की पूर्त्ति करने में अग्रसर हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक बात और कहना चाहता हूं जो मैं भूल गया था। सीतामढ़ी का एक मामला है, हमारे नवल बाबू भी जो को-आपरेटिव से दिलचस्पी रखते हैं उनको मालूम है कि पिछले दस, ग्यारह वर्षों से सीतामढ़ी को-आपरेटिव का विवाद चल रहा है। अभी हाल ही में फैसला हुआ है और सीतामढ़ी को-आपरेटिव सोसाइटी के जो युगल बाबू हैं उनकी सहमति से और बिहार सरकार की सहमति से बिहार सरकार ने एडवोकेट जेनरल महावीर बाबू को पंच मुकर्रर किया था और उन्होंने फैसला दे दिया है.....

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—यह मामला कचहरी में है इसलिये यहां जिक्र नहीं करें तो अच्छा होगा।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैं केस के मेरिटर में नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार एक पार्टी है और बिहार सरकार द्वारा मुकर्रर पंच का फैसला हो चुका है। फिर भी बिहार सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष—मामला अदालत में है इसलिये उसका जिक्र नहीं होना चाहिये। माननीय सदस्य पचास मिन्ट बोल चुके हैं।

श्री कर्पूरी ठाकुर—मैंने कहा है कि फैसला हो चुका है। बिहार सरकार उस फैसले को नहीं मान रही है। इतना ही कहकर समाप्त करता हूं।

*श्री शफीकुल्लाह अंसारी—सहकारिता के संबंध में जो डिमांड सदन में रखा गया है और उसका जो तफसील सदन के सामने आया है इसके बारे में जो आंकड़े हमारे सामने पेश किये गये हैं उसके बाद मैं समझता हूं कि हमारे सदन के सारे सदस्यों की ओर से माननीय मंत्री को पूरा को-आपरेशन मिलेगा, इस डिमांड के सिलसिले में। मैं बतलाना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन किस तरह हमारे मुल्क में और दुनिया के और राष्ट्रों में आया। अठारहवीं सदी में जब यूरोप में इंडस्ट्रियल क्रांति आयी तो उस क्रांति के बाद बड़े-बड़े मिल और कारखाने खोले गये और उस वक्त बड़े-बड़े कारखाने और मिलों को चलाने के लिये सिद्धान्त बनाये गये जिसमें मजदूरों को इस बात की जरूरत पड़ी कि सहकारिता आन्दोलन को चलाया जाय और इसके जरिये गरीब लोगों की हालत में सुधार लाया जाय और लोगों को रोजी मिल सके। चुनांचे सहकारिता आन्दोलन शुरू किया गया और उसके जरिये किसान और मजदूरों को काफी फायदे हुए। उसका असर हमारे देश में भी हुआ और जब यह देखा गया कि हिन्दुस्तान के बाहर बड़े-बड़े मिल, कारखाने उन्नत हो रहे हैं तो हमारा देश भी उसके पीछे चला। इस मौके पर जो बदसलूकी बरती गयी उस वक्त हमारी सरकार अपनी सरकार नहीं थी।

अंग्रेजी हुकूमत के वक्त जो हमारी नुकशानी हुई उसको पूरा करने के लिये यही को-आपरेटिव ही एक चारा है। वह हमारी सरकार नहीं थी। समय-समय पर सहकारिता को मदद करने के लिये जो सुझाव आते रहें, सहकारिता के कामों को आगे बढ़ाने के लिये, देश को आगे बढ़ाने के लिये जो सुझाव आते रहे हैं उसमें मुख्य सुझाव यही था कि इसकी हालत को सुधारना चाहिये। बराबर यही सुझाव आता रहा है। सहकारिता के आन्दोलन को बढ़ाने से ही देश की प्रगति होगी, सहकारिता आन्दोलससे को जन-आन्दोलन का रूप देना होगा। अभी हमारे देश में प्रजातंत्र राज्य है और इसने फैसला भी ले लिया है कि देश में समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिये को-आपरेटिव को आगे बढ़ाना ही होगा तभी देश का कल्याण हो सकता है। सरकार ने यह निति भी अपना ली है कि सहकारिता आन्दोलन को बढ़ाया जाय और सरकार उसके लिए हर तरह का यत्न भी कर रही है। लेकिन सहकारिता को आगे बढ़ाने से देश में जो प्रगति हुई है उसमें यह राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है जिसे को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब ने

भी एडमीट किया है। यदि सचमुच को-आपरेटिव को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि इसके लिये आपको तमाम लोगों का को-आपरेशन लेना होगा चाहे वे किसी भी दल के हों, सबको इसमें सहायता करनी ही चाहिये। इसी आन्दोलन के जरिये हम देश में समाजवादी समाज को स्थापना कर सकते हैं। इस आन्दोलन को जन-आन्दोलन का रूप देना ही होगा। को-आपरेटिव के तीन अंग हैं पहला आफिशियल, दूसरा नन-आफिशियल और तीसरा सरकार और को-आपरेटिव को कामयाब बनाने के लिये इन तमाम लोगों का को-ऑपरेशन होना बहुत ही जरूरी है। यहां बहुत तरह को को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं जैसे कुछ जेनरल टाइप के तो कुछ केन के आदि। सरकार को नीति है कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाय। हर सर्किल में सभी तरह के सोसाइटियों के लिये एक असिसटेन्ट रजिस्ट्रार रखे गये हैं। इसका नतीजा है कि जो पहले सिर्फ केन के थे वे आज सब के असिसटेन्ट रजिस्टार हो गये हैं पर फीर भी वे सिर्फ केन पर ही ध्यान देते हैं और सब पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। और यही हालत करीब-करीब सब जगह है। जब से हमारे नये को-आपरेटिव मिनिस्टर साहब आये हैं उनसे लोगों को बड़ी आशा बंध गयी है ऐसे तो पहले यह शन्टिंग लाइन कहा जाता था। जिसे को-आपरेटिव मिनिस्टर बनाया जाता था उसे लोग कहते थे कि वे अब शंटिंग लाइन में चले आये और शन्टेड मिनिस्टर ही इधर आते थे लेकिन आपके आने से लोगों की आशा कुछ ऊंची हो गयी है। आपसे लोग बड़ी-बड़ी उम्मीदें भी कर रहे हैं और आपका काम भी इस तरह अच्छा हो रहा है।

पहले जितने मिनिस्टर आये सबों ने कहा कि यह संन्टिग विभाग है। आपके आ जाने से हमलोगों को आशा बंधी है और उम्मीद है कि अब काम इस विभाग में अच्छा होगा क्योंकि आप एक इनरजेटिक मिनिस्टर है और जो कमजोरियां इस विभाग में हैं आप उसे जरूर दूर करेंगे। पहले आप मुकदमा क्या चीज है नहीं जानते थे लेकिन अब पार्टी पोलीटीक्स में आ गये हैं और मुकदमा चलाने लगे हैं। आप के जो ऑफिसर हैं उनमें कोई मिलावट नहीं है जो केन के ऑफिसर है वे को-आपरेटिव विभाग के ऑफिसर को नहीं जानते हैं उसी तरह दूसरे विभाग के जो आफिसर हैं वे एक दूसरे को नहीं जानते हैं। दूसरी बात आफिशियल और नन-आफिशियल की है उनमें भी कोई मिलावट नहीं है। जब कभी नन-आफिशियल कोई सुझाव आफिशियल के सामने रखते हैं तो उनको समझ में नहीं आती है और वे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। मैं यह भी देखता हूं कि जब कभी जन-आन्दोलन चलाने का सुझाव देते हैं और कहते हैं कि जन-आन्दोलन इसके लिये जरूरी है तो वे नहीं मानते हैं। हमारे देश के अन्दर को-आपरेटिव संस्था को आगे बढ़ाने के लिये और जन-आन्दोलन चलाने के लिये एक को-आपरेटिव फेडरेशन विभाग है। उसका दो काम है एक काम है ट्रेनिंग देना और दूसरा काम है पब्लिसिटी का। पब्लिसिटी का जो इंचार्ज होता है वह डेभलपमेन्ट ऑफिसर कहलाता है लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इनके मातहत जो ऑफिसर है वे अपना काम ठीक से नहीं करते हैं। हमलोग आज २० साल से हैं लेकिन डेभलपमेन्ट ऑफिसर को वहां जाने की नौबत नहीं पडी है। इसलिए हमारे मिनिस्टर साहेब जो बहुत ही एक्टिव और इनरजेटिक है वे इस तरह ध्यान देंगे। एक विभाग जिसका काम ट्रेनिंग देने का है उसके अन्दर एक डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर रहता है जिसका काम है कि हर जिला में जितने को-आपरेटिव संस्था है उनके मेम्बरों को ट्रेनिंग दें और एक्जेक्यूटिव को ट्रेनिंग दें और उसके बाद जनता को ट्रेनिंग दें। इन को भी कोई तजुर्बा नहीं होता है। लगभग एक लाख रुपया फेडरेशन को दिया जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं है।

इसलिये मैं आपकी तवज्जह इसके अन्दर नयी जागृति और नई शक्ति लाने के लिये चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि हैन्डलूम को-आपरेटिव यूनियन बिहार के अन्दर बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। यह कहना इसलिये बेजा नहीं है चूंकि हमारे मंत्री महोदय ने यह कहा है कि २० गांव के लोगों ने बिहार के अन्दर एक साथ को-आप-रेटिव बनाया। और भी बहुत से पूरे-पूरे गांव को-आपरेटिव फील्ड में आ गये हैं। १९४७ में इसकी तादाद २४ थी जो आज बढ़कर १,०५० हो गयी है। तीन सौ या साढ़े तीन सौ मेम्बर पहले थे और अब इसके १,३५,००० मेम्बर हैं। १९४८ से ही हैंडलूम को-औपरेटिव यूनियन पूरे बिहार के अन्दर तरक्की पर है और यहां की इस संस्था ने दुनियां के अन्दर चकाचौंध कर दिया है। जो चीजें यहां बनायी जाती हैं वह सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि देश के बाहर के बहुत से मुल्कों में बेचे जाते हैं और उसकी बड़ी जबरदस्त मांग भी है। इसको १५ वर्षों के अन्दर सिर्फ १० लाख रुपया कर्ज दिया गया है। यूं तो कहने के लिये मालूम होता था कि पूरे बिहार की सोसाइटियों में हैंडलूम यूनियन को ही सबसे ज्यादा कर्ज दिया गया है। लेकिन मैं यह दिलेरी से बता देना चाहता हूं कि १५ वर्षों के अन्दर रिजर्व बैंक आफ इंडिया से एक पैसा भी इसको कर्ज नहीं मिला है। और यह बड़ी खुशी की बात है कि हैंडलूम को-आपरेटिव यूनियन ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा का सामान तैयार किया है जो बिहार के अन्दर या दूसरे सूबों में भी और देश के बाहर दूसरे-दूसरे मुल्कों में भेजे गये हैं और उसकी बिक्री हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह यूनियन अभी फाइनान्शियल ट्रबुल में है और इसकी हालत अब खराब हो रही है। लेकिन जब इसकी हालत अच्छी थी तो एक या डेढ़ लाख रुपया इसने दूसरी सोसाइटियों को कर्ज दिया, उनको जीवित रखने के लिये। अगर आप सचमुच इस मूवमेन्ट में जान लाना चाहते हैं और चूंकि यह एक अलग टाइप की सोसाइटी है इसलिये मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि १,५०० सोसाइटीज को एक ही असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार कंट्रोल करे और अब जब पूरे बिहार के अन्दर १,०३५ सोसाइटीज हैं तो भी एक असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार रहे यह मौजूं बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिनलोगों को हैंडलूम की ट्रेनिंग दी गयी है उनको फिशरमेन्स की सोसाइटी में रख दिया गया है, फिशरमेन्स की ट्रेनिंग वालों को इन्डस्ट्रीज में दे दिया गया है और इन्डस्ट्रीज की ट्रेनिंग वालों को केन दे दिया गया है। इससे काम में बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। तीन डिप्टी और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को बाम्बे ट्रेनिंग के लिये भेजा जा रहा है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ऑफिसर को जैसी ट्रेनिंग दी जाय उसी के मुताबिक उनको डिपार्टमेन्ट भी दिया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह उम्मीद करता हूं कि जो डिमांड पेश हुआ है उसको ताईद सदन के तमाम मेम्बरान करेंगे।

श्री अक्षयवट दयाल सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, हमलोगों के सामने अभी सहकारिता विभाग की ओर से उसके मंत्री महोदय ने अपने बजट के डिमान्ड को पेश किया है। इस विभाग का बराबर दुर्भाग्य ही रहा है। एक ओर समाज के पुनर्निर्माण का आप दावा करते हैं और दूसरी ओर यह भी स्वीकार करते हैं कि बिना सहयोग के आज की बदलती हुई दुनियां में, आज के बदलते हुए समाज की रूपरेखा के सामने भी यह विभाग पुराने ढर्रे पर ही चल रहा है। अभी एक पुराने मंत्री महोदय को मौका दिया गया है कि इस विभाग को वह देखें।

सहकारिता संबंधो अधिनियम, नियम और उप-नियम इतना कठोर है कि किसी तरह की प्रगति या विकास असंभव-सा हो गया है। इसके रजिस्ट्रार को इतना विस्तृत अधिकार दे दिया गया है जिससे भी इसके काम में बाधा पहुँचती है। इसका कानून इनेवलिंग होना चाहिये लेकिन इसकी जगह पर कानून रिस्ट्रिक्टिभ बन गया है जिसकी वजह से इस आन्दोलन को बहुत धक्का पहुँचता है। इसके बारे में यह कहा गया है कि: "जिस समय यह आन्दोलन सरकारी कार्यक्रम का ऐसा रूप धारण कर लेता है जिसमें आंदोलन के संचालकों को व्यक्तिगत प्रेरणा नष्ट हो जाती है। यह निष्प्राण हो जाता है। हमलोग अब उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जब हमें पुराने विचार और काम के तरीकों के जाल से बाहर निकलना होगा और लाल फीते के चक्कर से मुक्त होकर अपने कार्यों में गतिशीलता लानी होगी" इस विभाग के जो प्रभारी मंत्री हैं उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इस आन्दोलन पर जरूर पहुँचेगा और आगे कहा गया है कि "सहकारिता विभाग का प्रभारी वही व्यक्ति हो सकता है जिसमें इस काम के लिये लगन हो और विश्वास हो और जो इस कार्य में प्रशिक्षित हो और जनसाधारण का विश्वास भाजन बनने का सार्वजनिक दृष्टिकोण रखता हो।" इस विभाग के प्रभारी मंत्री कैसे हैं और पहले जब ये मालमंत्री थे तब इनका कैसा काम हुआ है इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें यहां पढ़ कर सुना देना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष—वह किस प्रकार यहां पर संगत होगा?

श्री अक्षयवट दयाल सिंह—चूंकि हमारे मिनिस्टर जैसे हैं और जो इसके प्रभारी हैं उनका असर इस पर कैसा पड़ेगा।

उपाध्यक्ष—आपको इस विभाग के बारे में कहना है। किसी मंत्री विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना है। किसी भी कोर्ट के फैसले से कुछ पढ़ना यहां पर संगत नहीं है। आप इस विभाग के बारे में बोल सकते हैं।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—अगर माननीय सदस्य को मेरे व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना है तो मेरे खिलाफ वे नो-कंफिडेन्स का प्रस्ताव लाकर उसे कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष—अभी यहां पर कुछ कहना संगत नहीं है।

श्री अक्षयवट दयाल सिंह—अब मैं इस विभाग के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि यहां पर स्टेट के अन्दर स्टेट को-ऑपरेटिव युनियन है जिसके नियम में यह है कि प्रति वर्ष इसकी वार्षिक बैठक होनी चाहिये और अगर ऐसा नहीं होगा तो ५० रु० इसके प्रबंधक को फाइन करने के लिये रूल है लेकिन अभीतक किसी के खिलाफ जुर्माना नहीं हुआ है। इसी तरह से एक दूसरी संस्था स्टेट मार्केटिंग युनियन है और इसकी बैठक कभी नहीं हुई है। दस्तूर के मुताबिक तीन वर्ष पर इसकी कमिटी को भी बदल देना चाहिये और जब हमारे अन्सारी साहब इसके मिनिस्टर थे तब उन्होंने फैसला किया था कि अगस्त, १९६२ में एक नयी कमिटी गठित की जायेगी लेकिन अभीतक इसकी बैठक नहीं हुई। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि इस कमिटी की बैठक १९६२ में हो और आम चुनाव भी हो। लेकिन जब चुनाव का समय आया तो जो प्रभारी मंत्री

हैं उन्होंने चुनाव की तिथि के एक सप्ताह पूर्व उस बैठक को नहीं बुलाने का आदेश
दिया, उसे रुकवा दिया। यह कहा गया कि डाइरेक्टर की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं है। मगर
उसके अन्दर बात यह थी कि उसमें कुछ लोगों को लाना था, इसलिये उस बैठक को
स्थगित कर दिया गया।

अब स्टेट लैन्ड मौर्टगेज बैंक को लिजिए। जैसा कि श्री कर्पूरी ठाकुर ने बताया
है उसमें पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए दो रास्ता है। या तो ऋण-
पत्र यानी डिबेन्चर चालू करने की आज्ञा दीजिए, और नहीं तो सरकार की हैसियत से
अनुदान दीजिए। तब हां वह बैंक सुचारू रूप से चल सकता है। लेकिन न डिबेन्चर
चालू किया गया और न अनुदान ही दिया गया। उसमें यहां तक हुआ कि संचालक मंडल
में जगह खाली हुई और मनोनयन से ऐसे व्यक्ति को लाया गया जो आम चुनाव में
हार गया हो। मालूम होता है कि यह एक स्प्रींग बोर्ड है बैतरणी पार करने के लिये।
इस तरह दो व्यक्ति को लाया गया जो भूतपूर्व मंत्री हैं और दूसरा उनका लेफ्टनैन्ट हैं।

अब आप वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को लीजिए। मुजफ्फरपुर के भूतपूर्व एम० एल०
ए० का नौमिनेशन हुआ और चुनाव नहीं किया गया। जब स्टेट कोआपरेटिव बैंक के
लिए ऊपर से फैसला आया कि किसी भी औटोनमस बडी, कारपोरेशन या बोर्ड में मंत्री
लोग नहीं रहे, यानी जब हटने की बात आई तो आपने मुख्य मंत्री को लिखा कि अध्यक्ष
का चुनाव नहीं हो, मगर मुख्य मंत्री ने इस बात पर अपनी असमर्थता प्रगट की तो इसके
बाद चुनाव हुआ, लेकिन उसमें काफी धांधली हुई।

अब स्टेट को-आपरेटिव फेडरेशन पर आईये। इसमें भी मुख्य मंत्री के सामने नौमि-
नेशन का प्रस्ताव रखा गया मगर उन्होंने इसमें भी अपनी असमर्थता प्रगट की तो चुनाव
हुआ और चुनाव में जो अखाड़ाबाजी हुई वह सबके सामने मौजूद हैं। फेडरेशन के जो
सदस्य होते थे उनको बैठक में भाग लेने के लिये ६ रु० प्रतिदिन के हिसाब से
मिलता था और अध्यक्ष को १० रु० प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था। मगर आपको
सुनकर आश्चर्य होगा कि इस संकटकालीन स्थिति में इसकी स्वीकृति दी गई है कि सदस्य
को प्रतिदिन ६ रु० के बदले १० और अध्यक्ष को १० रु० के बदले १५ रु० प्रतिदिन
के हिसाब से दिया जाय और लोग इस हिसाब से लेना भी शुरू कर दिया। इसके
अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, ऐडवान्स भी लेना शुरू कर दिया। को-ऑपरेटिव का जो
ध्येय है वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ यद्यपि इसमें कुछ समय लगेगा और
उसमें जो कसौटी दिया हुआ है उन कसौटियों पर कसकर देखें कि बिहार में इस सम्बन्ध
में कितनी प्रगति हुई है।

मैं Indian Economics, Volume I by G. B. Jather & G. Beri
से एक अंश पढ़ता हूँ:

"The theory of co-operation is very briefly that an isolated and
powerless individual can by association with others and by moral
development and mutual support, obtain, in his own degree, the
material advantages, available to wealthy or powerful persons and
hereby develop himself to the fullest extent of his natural abilities
By the union of forces, material advancement is secured, and by
united action, self-reliance is fostered, and it is from the interac-
tion of these influences, that it is hoped to attain the effective
realisation of the higher and more prosperous standard of life which
has been characterised as better business, better farming and
better living."

उपाध्यक्ष महोदय, "better busin.ss, be.ter farming and better living की कसौटी पर देखा जाय कि हमारे यहां सहयोगिता से लोगों को कितना फायदा हुआ है। हाल ही में रिजर्भ बैंक के डिप्टी गवर्नर साहब ने आंकड़े देकर बताया है कि बिहार हर मामले में सहकारिता के सम्बन्ध में पिछड़ा रहा है। अनेक सदस्यों ने इस ओर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित किया है और मैं समझता हूं माननीय सहकारिता मंत्री इसे स्वीकार भी करते हैं।

अन्त में मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। वह है को-आपरेटिव फार्मिंग के बारे में। शायद पैसे के दुरुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण दूसरा कोई नहीं हो सकता है। जब रूस, चीन आदि देश में यह असफल रहा तो ऐसी हालत में आज की दुनियां में इस चीज को हमारे ऊपर लादना मुनासिब नहीं था। आप कलेजे पर हाथ रखकर कहें क्या आज की दुनिया में यह चल सकती है जबकि एक मां-बाप के ४ बेटे एक साथ नहीं रह सकते हैं। आप के बाप-दादे भी २—४ भाई होंगे और आपके भी २—४ भाई हैं और आपके लड़के भी २—४ होंगे। जब मां-बाप के जीवन काल में ही लड़का अलग हो जाता है एक दूसरे से तो क्या ऐसे सामाजिक वातावरण में को-आपरेटिव फार्मिंग चल सकता है? इसे हमारे ऊपर लादकर केवल पैसे का दुरुपयोग ही हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहता हूँ और सभी लोग इसे स्वीकार भी करते हैं कि हमारा छोटानागपुर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। सौभाग्य से सहकारिता मंत्री महोदय का यही राजनीतिक क्षेत्र कुछ वर्षों तक रहा। अब वहां से आप हट गये हैं तो कम-से-कम पुरानी मुहब्बत का ख्याल करके इसकी ओर जरा ध्यान दें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि लाह की खेती अभी वहां नगण्य-सी हो गयी है। जो मिड्लमैन होते हैं वही मुनाफा खा जाते हैं और कृषक को कोई फायदा नहीं होता है। आजकल रूस हमारे यहां से लाह खरीदना छोड़ दिया है, अरेबियन सी से वे अपने ही लाह उत्पादन कर लेते हैं। अमेरिका जो पहले हमसे खरीदता था वह आज थाईलैंड से खरीदता है। लाह का उत्पादन तथा बंटवारे के बारे में आप सुन्दर और सुचारू रूप से सोचकर सहकारी समितियों का गठन करवा सकते हैं जिससे हमारे देश को बहुत फायदा होगा क्योंकि आप जानते हैं कि लाह डौलर अर्न करनेवाली सामग्री है।

दूसरे में आपके सामने यह बतला देना चाहता हूँ कि छोटानागपुर में कोयले की खानें बहुत ज्यादा हैं। उनमें लेबरर्स भी बहुत हैं जो उस इलाके के हैं और बाहर के भी हैं। होता यह है, जिसका मंत्री महोदय को भी तजुर्बा होगा चूंकि हमलोग उन्हें सन ऑफ दी सोआयल समझते हैं, कि बाहर के लोग वहां रुपयों की थैली बांधकर जाते हैं और दो आने सूद पर मजदूरों को रुपया देते हैं और सप्ताह में जब वे रुपए लेकर बाहर निकलते हैं तो मुगल की तरह लाठी लेकर वे महाजन खड़े रहते हैं और कारखाने की कमाई का पैसा सब उनकी जेब में चला जाता है और लेबरर्स बेचारे वैसे ही भूखे और नंगे रह जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अबरख तथा कोयले की खानों में जो काम करने वाले हैं उनके बीच सहकारिता का काफी विकास किया जाय।

इसके बाद जंगल के बारे में जैसा कि आपने कहा है, आपने बहुत सही कदम उठाया है, लेकिन फिर मैं बतला देना चाहता हूँ कि इसके लिए कूप सिस्टम सहकारिता समिति के द्वारा व्यापक बनाया जाय, यानी लकड़ी काटने, उसके वितरण और बिक्री सभी इसके जरिए किया जाय। यह सुनकर हमलोगों को खुशी है कि कंजरवेटर ऑफ

फोरेस्ट से आपने बातें की है। मुझे भरोसा है कि आप और मुस्तैदी के साथ काम करेंगे और जैसा कि नेहरूजी ने कहा कि दल-दल में नहीं फंसेंगे और आपने जो कदम उठाया है उसे पूरा करेंगे।

इसके बाद देहातों में आप जानते हैं कि लोग एक मन मकई देते हैं, धान देते हैं और पैदा होने के वक्त डेढ़ मन, दो मन किसानों से ले लेते हैं। इसलिये ग्रेन गोला अगर खोला जाय तो बेचारे किसान और खास करके आदिवासियों की जान बच सकेगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जंगल के इलाकों में कागज बनाने के सभी साधन मुहैया हैं। श्री आई० जे० चाउल्स ने कहा था कि जापान में ५ से १० टन प्रति दिन कागज का उत्पादन हो सकता है। इसलिये मैं कहूँगा कि आपके यहां काफी रॉमेटोरियल्स हैं, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनाकर कागज का उत्पादन यहां अच्छी तरह से किया जा सकता है और इसके द्वारा बहुत-सी कठिनाइयां हल हो सकती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता विभाग से हमलोगों की आशा बंधी हुई है और जैसा कि हमारे एक दूसरे लायक दोस्त ने बतलाया है कि यह विभाग एक ऐसे मंत्री के हाथ में आया है कि इसका उद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा, कायाकल्प होगा। लेकिन फिर भी भय इस बात की है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस तरह से नौमिनेशन लोग दलदल में फँस जाते हैं यह विभाग भी उसी हालत में नहीं पड़ जाये।

इतना कहकर मैं बैठ जाता हूँ।

श्री जनक सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री ने जो मांग सदन के

सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपनी खूबियों और खामियों को बतलाते हुए रखा है दिल होता है कि यदि इससे भी कोई और मोटी मांग होती तो मैं उसे भी स्वीकार कर लेता।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रान्त कृषि प्रधान प्रान्त है और इसकी बहुत बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। इतना ही नहीं यह भी माना गया है कि हिन्दुस्तान के विकास के लिये इसकी खेती को छोटे-छोटे उद्योगों के साथ मिलाना होगा। इस देश के सभी प्रोग्रेसिभ पार्टी के लोग इसमें एक मत हैं कि गांवों के आर्थिक विकास के लिए सहकारिता ही एक प्रशस्त माध्यम है। ऐसी हालत में इस विभाग की तथा इस विभाग के प्रभारी मंत्री की भी बहुत बड़ी जवाबदेही हो जाती है। हमारे माननीय मंत्री ने बतलाया है कि इस संकटकालीन स्थिति के कारण हमारे पैसे घटनेवाले हैं लेकिन वे प्रयास करेंगे कि प्लानिंग कमीशन के सदस्यों से मिलकर फिर उस पैसे को वापस करा लें। सचमुच यह बड़ी खुशी की बात है और मैं आग्रह करूँगा कि इतना ही नहीं बल्कि और अधिक राशि ले सकें तो इस राज्य के लिए अच्छा (बेटर) होगा। कुछ दिन पहले स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर यह बताया गया था कि इस राज्य को करीब १०० करोड़ रुपया चाहिये काश्तकारों के बीच ऋण देने के लिए। थर्ड फाइव-इयर प्लान के अन्दर ३८ करोड़ रुपये की आवश्यकता महसूस की जाती है जिसमें अभी केवल चार करोड़ रुपया ऋण बांटा जा सका है। ऐसी हालत में आप समझ सकते हैं कि जो टारगेट हैं उससे हम कितना पीछे हैं। इसके बहुत-से कारण हैं। सहकारी समितियों को, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को और विभिन्न समितियों की जो अवस्था है उसकी ओर ध्यान दिया जाय तो पता चलेगा कि सचमुच समितियों को सबल बनाने की जरूरत है। साथ ही जो नियम बनाये गये हैं वे पुराने हैं और उनमें भी सुधार लाकर उन्नतिशील बनाने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी कोषागार काश्तकारों को दो तरह ऋण देता है एक अल्पकालीन और दूसरा मध्यकालीन। ७५ प्रतिशत अल्पकालीन और २५ प्रतिशत मध्यकालीन ऋण दिया जाता है। अल्पकालीन लोन एक साल के अन्दर वसूल किया जाता है और मध्यकालीन में दो-तीन साल का समय दिया जाता है। मंत्री जी ने मांग पेश करते हुए बतलाया है कि दक्षिण बिहार में जितना ऋण की वसूली हम कर पाये हैं उत्तर बिहार में उतना नहीं कर सके हैं। मैं इसे मानता हूँ, लेकिन उत्तर बिहार के लोग खुशी से ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी मजबूरियां ऐसी हैं जिनके कारण वे दक्षिण बिहार से पीछे हैं। आप सभी जानते हैं कि पिछले सालों में सुखार और बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार को कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। प्रतिवर्ष इसके चक्कर में उन्हें आना पड़ता है। इसलिये यह स्वाभाविक हो जाता है कि जो कर्ज उन्हें दिया जाता है उसकी वसूली समय पर नहीं हो पाती है जिसकी वजह से केन्द्रीय कोषागार से फिर दोबारा रुपया नहीं मिल पाता।

यह मालूम होता है कि जिस पैमाने पर हम रुपये लोगों को देना चाहते हैं नहीं दे पाते हैं। हर प्रखंड में पैसे की वसूली की जवाबदेही प्रखंड पदाधिकारी और वहां के सहकारिता पर्यवेक्षक के होते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को समय बहुत कम रहता है वे काम के भार से दबे रहते हैं, उनको सहकारिता से कम संबंध रहता है। जो सहकारिता पर्यवेक्षक हैं, ऐसा देखा जाता है कि उनको दूसरे काम में भी लगा दिया जाता है। बी० डी० ओ० साहेब अन्दर रहने के कारण उन्हीं के अनुसार चलना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि वसूली जैसी होनी चाहिये वैसा नहीं हो पाते हैं। इसलिए सहकारिता पर्यवेक्षक को उनको विभागीय अधिकारियों तथा सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के अधीन होना चाहिये। उनके सी० आर० इत्यादि लिखने का अधिकार सहकारी अधिकारी एवं सेन्ट्रल बैंक को होना चाहिए। ऐसा नहीं रहने से वे लापरवाही करते हैं। मैं एक मिशाल पेश करना चाहता हूँ। एक सोसाइटी में सेन्ट परसेन्ट वसूली हो गयी थी। उस सोसाइटी को पुनः ऋण लेना था। सहकारिता पर्यवेक्षक ने कहा कि मुझे फुर्सत नहीं है जो लोन के पेटीसन को वह रिकोमेन्ड कर सके क्योंकि सरकार के कर्ज वसूली में लगा हुआ है। फल यह हुआ कि आवेदन-पत्र उनके यहां से बार-बार मंगाने पर भी नहीं आ सका एक तरफ आप सहकारिता समितियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी तरफ विभागीय लोगों को दूसरे कामों में लगाकर रुकावट डालने का अवसर देते हैं। इसलिये मेरी राय है कि सहकारी विभाग में काम करने वाले पर्यवेक्षकों सिर्फ बैंक तथा समितियों से सम्बन्ध होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो आप कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए कृषि ऋण देते हैं तो उसकी खपत के लिए भी समुचित प्रबंध होना चाहिए जिससे काश्तकारों के पैदावार का उचित मूल्य मिल सके। जो गोडाउन खोले गए हैं या वेयर हाउस खोले गए हैं वहां किसान अपने माल रखने में भय खा रहे हैं क्योंकि वे समझ रहे हैं कि इस इमरजेन्सी के वक्त में सरकार किस समय किस दर में गल्ला ले लेगी ठीक नहीं है। इसलिए मेरी राय है कि वेयर हाउस तथा सहयोग गोदाम में रखा गया गल्ला सरकार मनमाने मूल्य पर नहीं लेगी, इस एलान को किसानों को अपना गल्ला निकाल कर मार्केट रेट में बेचने का अधिकार होगा। यह साफ तौर पर कहा जाय। तभी किसान वेयर हाउस तथा गोदाम का व्यवहार करेंगे।

ऊख, कृषि और इन्डस्ट्रीज दोनों ही से संबंध रखता है। ऊख की पैदावार किसानों के लिए मनी क्रौप, ईख वाले क्षेत्र के लिये, नहीं है। इसके अलावा दूसरा और

कोई मनी क्रौप नहीं है। ऐसे मौके पर मिल मालिकों और किसानों के साथ ऐसा व्यवहार होता है जिससे दोनों को परेशानी बढ़ जाती है। कभी ईख अधिक उपजाने के कारण किसान परेशान होते हैं तो कभी कम ईख के कारण मिल वाले और सरकार दो तरफी घाटा में रहती है। मुझे आश्चर्य है कि इस प्लानिंग के युग में भी जब ईख के रोपने से लेकर चोनी बनाने तक में नियंत्रण है तो किसानों को तथा मिल मालिकों को ऐसा समय क्यों देखना पड़ता है। इसके समाधान के लिए मेरी एक निश्चित राय है ईख की पूर्ण पूर्त्ति सहयोग समितियों के ही द्वारा हो। व्यक्तिगत सप्लाई को बन्द कर देना चाहिए। डायरेक्ट सप्लाई में किसानों को नुकसानी होतो है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान दें तभी केन को-आपरेटिव का विकास वे कर सकते हैं। पिछले वर्ष केन के काश्तकारों की काफी दुर्दशा हुई। नतीजा हुआ कि इस बार गन्ने की पैदावार कम हो गयी। इसलिए मैं चाहूँगा कि केन को-आपरेटिव के द्वारा ही सब सप्लाई हो। केन ही एक ऐसी चोज है जिस पर शुरू से लेकर अन्त तक हर जगह नियंत्रण है, आप इसकी पैदावार बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें कुछ ऐसी त्रुटि है जिसके चलते उतनी उपज नहीं हो पा रही है।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री जनक सिंह—बहुत जल्दी ही समाप्त करूँगा।

माननीय मंत्री ने कहा है कि स्टेट के हर जिले में लैंड मौरगेज बैंक की स्थापना की गयी है बहुत अच्छी बात है लेकिन इससे रुपये लेने के ऐसे तरीके हैं कि दो-अढ़ाई साल लग जाते हैं, ऋण लेने में। एक तरफ सरकार तीव्र गति से चलना चाहती है और दूसरी तरफ रोक लगाकर कछुआ की गति पसन्द करती है। कैसी विडम्बना है यह। इसलिये इसमें कुछ फेर-बदल करना चाहिए। मैं अपने गांव के एक काश्तकार का नाम बताता हूँ जिन्होंने अढ़ाई वर्ष पहले दर्खास्त दिया लेकिन अभीतक उनको पैसा नहीं मिल पाया है। श्री चन्द्रदेव सिंह उनका नाम है। इसका प्रावधान ही कुछ ऐसा है जिसके चलते देर लगती है, जब ज्यादा सीढ़ी चलना होता है तो वहां लिफ्ट लगाया जाता है इसलिये मैं चाहता हूँ कि इसके नियम में कुछ परिवर्त्तन किया जाय ताकि किसानों को राहत मिले। दो-तीन वर्ष लगने से किसान हताश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। लोगों की ऐसी धारणा हो गयी है कि इससे रुपये मिलनेवाले नहीं हैं। कभी-कभी तो ऐसा देखा गया है कि वे आकर कहते हैं कि बाज आए लोन लेने से, हमारा मेम्बर फी वापस कर दो इसलिए इसमें सुधार करना बहुत जरूरी है।

बुनकर सहयोग समिति की चर्चा की गयी है। आज ही प्रश्नोत्तर के समय एक सवाल के जवाब में कहा गया कि तीन साल में ९ लाख रुपये विभर यूनियन को दिए गए पर मैं बताना चाहता हूँ कि बुनकर सहयोग समितियों को क्या रिबेट मिलता है? कितने लोगों का, किसी का तीन हजार, किसी का चार हजार रुपया यूनियन के यहां बाकी है। नतीजा होता है कि जितनी बुनकर सहयोग समितियां हैं वे पनप नहीं रही हैं। बुनकर सहयोग समितियों को ऋण देने की व्यवस्था रिजर्व बैंक से है लेकिन उसकी व्यवस्था कैसी है? मैं सुनाना चाहता हूँ। रिजर्व बैंक ने सेन्ट्रल बैंक के द्वारा ऋण देना निश्चित किया। लेकिन उस बैंक के द्वारा जो ओभर डिउज भी नहीं है भला बतावें तो सेन्ट्रल बैंक के ओभर डिउज (over duse) से समितियों का कौन सम्बन्ध। वसूल सेन्ट्रल बैंक का और सजा पावे बुनकर सहयोग समितियां।

श्री कर्पूरी ठाकुर ने चर्चा की है कि जज को अधिकार दे देना चाहिए लेकिन मैं उस विचार से सहमत नहीं हूँ। हम रात-दिन कर्ज देते हैं और वसूल करते हैं उसमें नियम है कि रजिस्ट्रार कन्ट्रोल करते हैं। मैं समझता हूँ कि जज के फेरे में वे पड़ जायेंगे तो बुनकर सहयोग समिति के लोग भी फंस जायेंगे और कोई काम नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं उस विचार के पक्ष में नहीं हूँ।

*श्री साइमन ओरांव—उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी आन्दोलन के लिये एक पृष्ठभूमि की

की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार आर्थिक प्रगति के लिये हमारे भारतवर्ष की पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि वह आज सहकारिता आन्दोलन की आवश्यकता समझती है। इस आन्दोलन की सिर्फ आवश्यकता ही नहीं है बल्कि विशेष आवश्यकता है। आज सभी जानते हैं कि जो देश पूंजीवादी है, वहां इसकी आवश्यकता न भी हो, क्योंकि वहां की जनता आर्थिक सम्पन्नता में रहती है लेकिन हमारे भारतवर्ष जैसे गरीब देश के लिये सहकारिता आन्दोलन की विशेष आवश्यकता है। यह सभी जानते हैं कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, हमारा बिहार भी कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिये यहां की अधिकांश जनता खेती पर निर्भर करती है। कृषि की प्रगति के लिये सहकारिता का होना बहुत ही जरूरी है। सहकारिता के जरिये ही इस दरिद्र देश की आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाया जा सकता है। सहकारिता आन्दोलन के क्षेत्र में आज जो खामियां है, मैं उसे सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी आन्दोलन को सफल बनाने के लिये जनता की विचार धारा में परिवर्तन लाना सबसे पहला काम है, जो यह सरकार नहीं कर रही है। जबतक सरकार ऐसा नहीं करेगी तबतक सफलता की आशा करना व्यर्थ है। जनता में इस आन्दोलन के प्रति विश्वास पैदा करना चाहिये लेकिन हम देखते हैं कि इस ओर सरकार करीब-करीब निष्क्रिय है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दोस्त कर्पूरीजी ने ठीक ही बताया है कि सरकार इस आन्दोलन को नौकरशाही आन्दोलन बना दिया है। आज जो सरकारी अधिकारी और अफसर चाहते हैं, वही होता है। आज हम देखते हैं कि जब ये अफसर हमारे छोटा-नागपुर में जाते हैं तो ठीक वैसा ही मालूम पड़ता है, जैसा कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में अंग्रेज अफसर मालूम होते थे। उनमें और इनमें कोई अन्तर नहीं मालूम देता है। आज भी हम देखते हैं कि इन अफसरों को सिर्फ अपना तलब उठाने का फिक्र रहती है न कि जनता की स्थिति में सुधार लाने का फिक्र रहती है। हम देखते हैं कि आज हमारी सरकार सुन्दर-सुन्दर योजना बनाती है लेकिन ये भ्रष्ट अफसर इन योजनाओं को पूरा होने नहीं देते हैं। आज भी अफसरों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज हम यह भी देखते और सुनते हैं कि हमारे छोटानागपुर में जो अफसर ऋण की रकम वसूल करने जाते हैं या मालगुजारी वसूल करने जाते हैं, वे पैसा जनता से ले लेते हैं और कहते हैं कि रसीद कल मिलेगी। इस तरह से जनता को दिक्कत में डालते हैं और बिना घूस लिये हुए रसीद नहीं देते हैं।

सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि हम सहकारिता के आधार पर देश की आर्थिक स्थिति को ऊंचा रखना चाहते हैं, कृषि के उत्पादन के साथ-ही-साथ गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो सहकारिता के आन्दोलन को अच्छे ढंग से चलाना पड़ेगा। चूंकि देश के सामने बड़ी विपत्ति आ गई है। मैं सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि अगर हो सके तो सहकारिता आन्दोलन के लिये जितने भी अफसर हों वे स्थानीय हों

ताकि वे स्थानीय लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकें। उसके बिना यह आन्दोलन सफल नहीं हो सकता है। साथ-ही-साथ में यह कहना चाहता हूं कि जितने कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जैसे लाह फारेस्ट को-आपरेटिव सोसाइटीज, इनमें भ्रष्टाचार आ गया है। जिसके उदाहरणस्वरूप में कहना चाहता हूं कि टोटो लाह समिति ६ मास से अनुदान के लिये आवेदन-पत्र दिये हुए है लेकिन वह अभी तक नहीं मिल पायी है। वन श्रमिक सहयोग समिति, जो गुमला सबडिवीजन में है, को आश्वासन दिया जाता है कि उनको विशेष सुविधा दी जायेगी लेकिन डी० एफ० ओ०, रेंजर लोग यह नहीं होने देते हैं। वर्कर्स सहयोग समिति को ५ हजार से अधिक का ठीका नहीं दिया जाता है और उसे डाक पर रखा जाता है। इससे समिति हतोत्साह है। उसी तरह बुनकर सहयोग समिति की पूंजी बहुत ही कम है और जिसके कारण इसकी प्रगति नहीं हो रही है इसलिये सरकार इसे अधिक पूंजी देने की ओर ध्यान दे। अन्त में मैं एक ऐसे विषय की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि हमारे राज्य में अभीतक जो सहयोग समितियां बनी हैं उनमें केवल पुरुष ही अधिक हैं और ३-४ प्रतिशत ही नारियां होती हैं। हमारे देश में करीब ५० प्रतिशत नारियां हैं जो हमारी आर्थिक विकास में सहयोग दे सकती हैं तो क्या सरकार यह सोचती है कि जिस प्रकार जापान में लड़ाई के बाद वहां जो समितियां बनीं हैं उनमें पुरुषों से ज्यदा स्त्रियां रहती हैं और जापान की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आई तो भारत ऐसे दरिद्र देश में नारियों की को-आपरेटिव सोसाइटीज बनाने के बाद अवश्य सुधार आयेगी। जापान में स्त्रियों को सोसाइटीज की संख्या ७,४०,५११ है वहां पुरुषों की को-आपरेटिव सोसाइटीज सिर्फ १,५८,२८१ हैं। अगर इस चीज को अपने यहां किया जाय तो हमारे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगी। मैं दो-तीन ऐसे विषय को रख देना चाहता हूं कि अगर नारियों की को-आपरेटिव सोसाइटीज बनी तो अल्प-बचत योजना, जो सरकार कर रही है, को सफलता प्राप्त होगी। दूसरे घरेलू उद्योग और कृषि समितियां नारियां की बने तो इनमें अत्यधिक विकास हो सकता है। तीसरा यह है कि जब स्त्रियां हरएक परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करें तो इसमें गांव की स्थिति सुधर जायेगी। तो मैं सरकार के सामने इस चीज को रखते हुए यह कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा दोष है कि हमारे यहां जितने भी को-आपरेटिव सोसाइटियां हैं उसके लिये सरकार अच्छे-अच्छे मकान बना रही है और अफसर बहाल हो गये हैं, सुपरवाइजर बहाल हो गये हैं लेकिन इनका कार्यक्रम ढीला है, अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। मैं शुरू में ही कह चुका हूं कि सबसे पहले जरूरत है कि लोगों के विचारधारा में परिवर्त्तन लाया जाय। जबतक मानसिक जगत में परिवर्त्तन नहीं लाया जायगा तबतक बड़े-बड़े बैंक खोलने से काम नहीं चलेगा। मैं यहीं कहकर बैठना चाहता हूं कि सरकार की जितनी भी योजना है वह सुन्दर होते हुए भी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के कारण सफल नहीं हो रही है। मैं माननीय मंत्री से कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की कोशिश करें।

श्री यदुनन्दन मुर्मू—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री के बजट का समर्थन

करते हुए आपके माध्यम से मैं कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता हूं। सहकारिता ही ऐसी चीज है जिससे मनुष्य आगे बढ़ सकता है, गांव की तरक्की हो सकती है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह परैया क्षेत्र है, वहां अधिकतर गांव में सहयोग समितियां की स्थापना हो चुकी हैं, सहयोग समितियां के द्वारा गांव के किसानों को रुपये, धान और खाद ऋण के रूप में दिये जाते हैं। लेकिन इसका जो अच्छा फल होना चाहिये वह देखने को नहीं मिलता है। सहयोग समितियां के जो कार्यकर्ता हैं वे अच्छे नहीं हैं

और उनकी वजह से काम ठीक से नहीं होता है। हमारे यहां को-आपरेटिव सोसाइटी के कई ग्रेन गोला है। ये ग्रेन गोला उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो महाजनी करते हैं। वे लोग अपना धान भी लगाते हैं और को-आपरेटिव सोसाइटी का भी धान लगाते हैं और जब धान तहसीलने जाते हैं तो सबसे पहले अपना धान ले लेते हैं और सोसाइटी के धान को छोड़ देते हैं। इस तरह ग्रेन गोला का धान बाकी रह जाता है। यह भी नियम है कि अगर कोई सोसाइटी का धान समय पर नहीं दे तो उसकी जमीन सट्टा करके धान वसूल किया जाता है। इस तरह के सट्टा जमीन से भी वे अपना ही धान वसूलते हैं और सोसोइटी को धान बाकी गिरा देते हैं। इस तरीके से मुश्किल से एक चौथाई सोसाइटी का धान वसूल होता है। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों को जो रुपया दिया जाता है वह मई के पहले दे देना चाहिये। बात यह होती है कि किसानों से जो दरखास्त सुपरवाइजर लोग लेते हैं वह अपने गुट के आदमियों से ले लेते हैं और बी० डी० ओ० से दस्तखत कराकर सेन्ट्रल बैंक को ले जाते हैं। सेन्ट्रल बैंक का बड़ाबाबू जो रुपया पेमेंट करते हैं वह सुपरवाइजर को रुपया थमा देता है और सुपरवाइजर दस, पन्द्रह परसेंट काटकर लोगों को रुपया दे देता है। इस तरह की धांधली हमारे प्रखंड में चल रही है। इस तरह की शिकायत एंटी करप्शन को भी दी गयी है लेकिन भगवान जाने क्या हो रहा है? राजमहल और दुमका के बैंक का एकीकरण नहीं हो रहा है, प्रस्ताव पास हो गया है लेकिन अभीतक नहीं हुआ है। इसमें सुधार लाने के लिये माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो धांधली हो रही है उसको रोकने के लिये कड़ी कार्रवाई की जाय। हमारे यहां जो सोसाइटियां काम कर कर रही हैं वे लोन दिलाते समय शेयर का दस परसेंट काट लेते हैं। मेरा कहना है कि हर साल शेयर का दस रुपया लेना चाहिये जिससे सोसाइटियां स्वास्वलम्बी बन सकेंगी।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी दूकान वगैरह खोलकर गांव की अच्छी तरह चला सकते हैं। हमारा जिला बहुत पिछड़ा जिला है। महाजन लोगों के द्वारा वहां के लोग बहुत शोषित होते हैं। इसलिये सरकार सहकारी ग्रेन गोला और दूकानें खोलकर सरकार लोगों को महाजनों की चंगुल से बचा सकती है।

उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें ताकि दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका मिले।

*श्री सूरज प्रसाद—उपाध्यक्ष महोदय, सहयोग आन्दोलन जो देहातों में चलाया गया है उसके पीछे उद्देश्य यह था कि किसानों को कर्जा दिया जाय और खासकर जो सूदखोर महाजन हैं उनसे मुक्ति मिले। जब सहकारिता आन्दोलन चलाया गया तो उसके पीछे यही धारणा थी। पचास वर्षों से यह आन्दोलन चल रहा है। देखना हमें यह है कि सरकार से किसानों को जो कर्ज मिलता है वह कितना परसेंट मिलता है। अभीतक मुझे खबर है कि जैसा मंत्री ने कहा है कि किसानों को जितने कर्ज की आवश्यकता है उतना कर्ज हम नहीं दे पाते हैं। आज जो आंकड़े उपलब्ध है उसके अनुसार बिहार में किसानों को कर्ज देने के लिये एक सौ करोड़ रुपये कर्ज लेने की जरूरत है। लेकिन बिहार सरकार पांच परसेंट लोगों को कर्ज के रुपये दे पाती है। मुझे पता चला है कि बिहार के किसान सूदखोर महाजनों के चंगूल में फंसे हुए हैं और उनको अधिक दर पर रुपया

मिलता है। हमारे माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि किसानों को डेढ़, दो, ढ़ाई रुपये सैकड़े माहवारी सूद के हिसाब से महाजनों को देना पड़ता है। इससे हालत उनकी और भी खराब हो रही है। बिहार सरकार सूदखोर महाजनों से किसानों को मुक्त नहीं करा सकी इस कारण यह आन्दोलन असफल रहा है। मुझे दूसरे क्षेत्र को जानकारी नहीं है लेकिन जहांतक मेरे अपने क्षेत्र की बात है वहां बहुत सी सोसाइटियां काम कर रही हैं और उसके जो सदस्य बनाये गये हैं उनके बारे में हमारी जानकारी है। मैं माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं।

अभी सहयोग समितियों के अधिकतर सदस्य वे ही लोग हैं जो पहले जमींदार थे और जिनके पास आज भी अधिक-से-अधिक जमीन है। ये लोग दूसरों को यानी गरीबों को इसमें घूसने तक नहीं देते हैं ताकि सहयोग समितियों से जो कर्ज मिलती है उससे वे भी फायदा उठा सकें। इसलिये मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे अधिक कर्ज की आवश्यकता गरीब किसानो को होती है लेकिन समितियों में उनकी संख्या बहुत ही कम है जिससे वे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। को-आपरेटिव सोसाइटी कायम करने के पीछे जो उद्देश्य था गरीबों को अधिक-से-अधिक मदद पहुंचाने का वह नहीं हो रहा है। एक गांव मेरे क्षेत्र में है जहां की जनसंख्या सात हजार है और उसमें से १०० आदमी ही वहां की सहयोग समितियों के मेम्बर हैं और यह एक सौ मेम्बर भी वहीं हैं जिनके पास पन्द्रह बीघा से अधिक जमीन है। इसलिये मैं कहूंगा कि जो उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो रहा है को-आपरेटिव का।

आज गांवों में मल्टी परपस को-आपरेटिव सोसाइटीं बहुत ही मशहूर हो रही है और आज इसे क्रेडिट सोसाइटी की संज्ञा भी दी जाती है। १९०४ में जो को-आपरेटिव कानून बना और उसके अनुसार को-आपरेटिव का जो सीमा निर्धारण हुआ वही आजतक भी लागू है इसको बदलना चाहिये। नतीजा है कि बहुत सी जगहों में को-आपरेटिव के जितने पहलू हैं उनमें से बहुत सी पहलू अभी बहुत सी जगहों में छू भी नहीं पायी है।

किसान अनाज पैदा करते हैं लेकिन उसका उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है चूंकि वे अपना अनाज उस समय बेचते हैं जिस समय लोगों के पास काफी गल्ला रहता है और उसीको धनी-मानी लोग खरीद कर गोदाम में रखदेते हैं और वाफी मूल्य पर बेचते हैं। देहाती क्षेत्रों में सहयोग समितियों का विकास उस रूप में सरकार नहीं कर पायी है जिससे किसानों को अपने उपज का उचित मूल्य मिल सके। इसलिये मैं सहयोग मंत्री से कहुंगा कि वे इसपर विचार करें।

अब मैं सरकार का ध्यान को-आपरेटिव फार्मिंग की ओर ले जाना चाहता हूं। को-आपरेटिव फार्मिंग के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हिन्दुस्तान के लिये को-आपरेटिव फार्मिंग मौजू नहीं है इसलिये इसका प्रयोग यहां अभी नहीं होना चाहिये तो मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि बिहार के सैकड़े पचहत्तर आदमी ऐसे हैं जिनके पास पांच एकड़ से अधिक जमीन नहीं है। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास दो या तीन ही एकड़ तक जमीन है। उनकी आर्थिक हालत को सुधारने का प्रश्न है। समाजवाद का लक्ष्य है कि नीचे जो गिरे हुए लोग हैं उनको उठाया जाय और उनको आगे बढ़ाया जाय। जो किसान एक एकड़, दो एकड़ जमीन रखता है वह कैसे अपने को ऊंचा उठा सकता है। उसके पास साधन कहां है कि वे अपने को ऊपर उठा सकें। उनके बीच अधिक से अधिक साधनों को जुटाना जरूरी है और वैज्ञानिक तरीके से खेती कराने का इन्तजाम करना है। उनके लिये अच्छे बीज का इन्तजाम करना है, अच्छे खेती का औजार का इन्तजाम करना है। एक एकड़ और दो एकड़ जो किसान जमीन रखता है

१०८ एल० ए०

वह कैसे इन चीजों को जुटा सकता है। इसलिये उनके लिये सहकारिता खेती करने का इन्तजाम करना जरूरी है जिसमें वे अच्छे बैल पा सकें और अच्छे बीज का इस्तेमाल कर सकें। जब इन चीजों का इन्तजाम होगा तब उनकी हालत अच्छी होगी। जब मैं इन सब बातों को कहता हूं तो मुझे बहुत दुःख होता है कि हिन्दुस्तान के सरकार ने सिर्फ दो-तीन राज्यों को सहकारिता खेती के लिये चुना है जिसमें बंगाल का नाम है उड़ीसा का नाम है और एक और प्रदेश का नाम है लेकिन बिहार का नाम नहीं है। मैं अपने सहकारिता मंत्री से कहूंगा कि आप भी भारत सरकार के पास जायें और उनसे कहें कि बिहार में भी सहकारिता खेती अच्छी तरह से हो सकती है।

उपाध्यक्ष—आपका समय हो गया।

श्री सूरज प्रसाद—अच्छी बात है। अब मैं बैठ जाता हूं।

*श्री तुलसी दास मेहता—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कर्पूरी ठाकुर का जो कटौती का प्रस्ताव है उसको समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। सहकारिता आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग नीचे गिरे हुए हैं उनको ऊंचा उठाना और मुक्ति दिलाना। उनके लिये उचित मूल्य दिलाना है और जो लोग भोक्ता हैं उनको भी सही दाम पर चीज दिलाना है। गांवों को आप एक किला के रूप में परिणत कर सकते हैं। लेकिन बिहार की सहकारिता आन्दोलन ऐसी लायक नहीं है कि इस चीज को कर सके और इसके लिये यदि कोई अड़ंगा है तो वह सरकार की नीति है। सरकार की नीति के कारण सहकारिता आन्दोलन नीचे पड़ी हुई है। हमारे यहां दो तरह से ऋण दी जाती है। एक एजेन्सी है बिहार सहकारिता बैंक और दूसरी लैंड मौरगेज बैंक है। यही दो एजेन्सियां हैं जिसके जरिये किसानों को ऋण दी जाती है। कृषि के लिये ३ वर्षों के लिये ऋण दी जाती है और घर के लिये २० वर्षों के लिये ऋण दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो अभी अल्पकालीन ऋण देने की व्यवस्था है वह एक साल में अगर ऋण खेती के लिये दिया जाता है तो वह ठीक समय पर नहीं मिलता है। दर्खास्त देने के छः महीने के बाद तो ऋण दिया जाता है और उसके ३,४ महीने बाद ही उनसे यह कहा जाता है कि ऋण की रकम लौटा दो। इसलिये किसानो को उससे कोई फायदा नहीं होता है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि इस नियम को बदल देना चाहिये और एक ऐसा नियम उसकी जगह पर बनाना चाहिये जिसमें दर्खास्त देने के १५ दिन के बाद किसानों को ऋण का पैसा मिल जाय। दूसरी बात यह है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिर्फ ३८ करोड़ रुपया ऋण देने के लिये रखा गया है जबकि सौ डेढ़ सौ करोड़ ऋण के लिये रखना चाहिये था। चूंकि बिहार प्रान्त बहुत ही पिछड़ा है और यहां अधिक-से-अधिक ऋण वितरण करने की आवश्यकता है। नीति की गड़बड़ी के कारण करीब-करीब ५० प्रतिशत लोन लैप्स हो जाता है। दुनियां की सभी बड़े देशों में हिन्दुस्तान बहुत पिछड़ा है और खासकर बिहार प्रान्त की दशा और भी शोचनीय है।

कुछ दिन पहले १९६० ईस्वी में रिजर्व बैंक औफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर श्री वेंकटपैया बिहार में आये थे। उन्होंने अपनी यात्रा टिप्पणी में जो आंकड़ा दिया है वह हमारे लिये उत्साहवर्द्धक नहीं है। इस आंकड़ा के अनुसार भारत में प्रति समिति औसत सदस्य संख्या ६१ है, किन्तु बिहार में सिर्फ ३६, भारत में प्रति समिति की औसत चुकता पूंजी १,६६५ है किन्तु बिहार में ३६७, भारत में प्रति समिति औसत अमानत

५१३ है किन्तु बिहार में सिर्फ ६५, भारत में प्रति समिति औसत चालू पूंजी ८,०३१ है किन्तु बिहार में १,५६३, भारत में प्रति समिति को दिया गया औसत ऋण ५,७६९ है किन्तु बिहार में ६६३, भारत में प्रति सदस्य को दिया औसत ऋण ६४ और बिहार में १८। सहकारी भारत के चित्र में बिहार का स्थान नगण्य है।

इससे पता चलता है कि सहकारिता में बिहार प्रान्त कितना पीछे है। दूसरी बात यह है कि को-आपरेटिव के रजिस्ट्रार को बहुत अधिक अधिकार दिया गया है। बैंक के मैनेजर या सहयोग समिति के मैनेजर जो होते हैं, उन पर संचालक मंडल या अवैतनिक मंत्रियों का अधिकार नहीं रहता है। इससे सहकारिता के काम में उन्नति नहीं होती है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि बिहार में सहकारिता आन्दोलन के प्रसार के लिये यह जरूरी है कि नन-आफिसियल्स को इस तरह का अधिकार होना चाहिये जिससे यह आन्दोलन सफल हो सके।

लैंड मोरगेज बैंक को बिहार में कायम हुए ५, ६ वर्ष हुए। उसके पास १६ लाख ५२ हजार ८८० आवेदन-पत्र विचाराधीन है। इससे यह यह पता चलता है कि सहकारिता आन्दोलन की कितनी शोचनीय दशा है। इन्हीं शब्दों के साथ में विरोधी दल के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नन्दकिशोर सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कर्पूरी ठाकुर के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कबल इसके कि इस बजेट पर अपना विचार व्यक्त करूं सबसे पहले मैं इस विभाग के मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि मंत्रिमंडल के वे पहले सदस्य हैं जिन्होंने इस सदन में कबूल किया है कि इस विभाग को जितनी तेजी से आगे बढ़ाना चाहिये था उतनी तेजी से इसका काम नहीं हुआ है। तरह-तरह की अड़चनों का सामना इनको करना पड़ता है। सेंटर से जो मदद मिलनी चाहिये या मुख्य मंत्री से जो मदद मिलनी चाहिये वह नहीं मिली। जैसा कि और सदस्यों ने कहा, ठीक है अपना-अपना विचार है, माननीय मंत्री जो मुख्य मंत्री के लिये खड़े हुए थे उनको आज इस डिपार्टमेंट को देकर इस डिपार्टमेंट के साथ अन्याय नहीं किया गया है बल्कि मिनिस्टर के साथ अन्याय किया गया है।

उपाध्यक्ष—शांति। पहले ही माननीय सदस्य को मैंने कहा कि वही बातें कहें जो संगत हों। समय भी उनको कम है और इस तरह की असंगत बातों कहेंगे तो और बातें जो कहना चाहते हैं उनके लिये उनको समय नहीं मिलेगा।

श्री नन्दकिशोर सिंह—को-आपरेटिव विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी दाद बड़े-बड़े नेता देते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा है कि देश की तरक्की इसके जरिये हो सकती है। मैं भी सहमत हूं कि को-आपरेटिव फार्मिंग को छोड़कर जितने भी को-आपरेटिव के काम हैं उन सबके साथ में हूं। मैं एक गृहस्थ परिवार से आता हूं। अभी भी मैं देखता हूं कि वह जमीन जो सभी गांव में रहनेवालों के लिये है, जैसे पूजा के काम के लिये या ऐसी ही जमीन जिसमें सोलहों आने गांव के लोग अपना काम कर सकते हैं, वह अलग रहती है और उस जमीन में खेती सभी मिलकर करते हैं। नतीजा यह होता है कि जिस तरह अपनी खेती, इन्डीविज्युअली करते हैं उस तरह उसमें मेहनत नहीं करते। को-आपरेटिव फार्मिंग की भी वही हालत होगी और को-आपरेटिव के और मामले के जरिये अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा। छोटानागपुर को-आपरेटिव के

में आगे है लेकिन को-आपरेटिव फार्मिंग वहां कभी सफल नहीं हो सकता। अभी कर्ज की वसूली के बारे में मंत्री महोदय ने कहा था कि छोटानागपुर सबसे आगे है सारे प्रांत में। मल्टी परपस सोसाइटी द्वारा जो कर्ज किसानों को दिया जाता है वह समय पर दिया जाता है और उससे किसान समय पर खेती करते हैं और समय पर कर्ज को वापिस कर देते हैं। इसका सबूत यही है कि इसकेरसिटी के समय भी छोटानागपुर के किसानों ने समी एरियर की अदायगी कर दी। मैं निवेदन करूंगा कि छोटानागपुर में मल्टी-परपस सोसाइटियों के ऊपर ध्यान देना चाहिये और उनको ज्यादा रुपया देना चाहिये। ऐग्रीकल्चरिस्ट लोन और तकावी लोन में किसानों को परीशान होना पड़ता है लेकिन मल्टीपरपस सोसाइटी के जरिये किसान खेती समय पर करते हैं और अन्न का उत्पादन बढ़ रहा है। इसलिये सरकार का ध्यान उस ओर जाना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा ऐसी सोसाइटियों को खोलना चाहिये।

हमारे चौपारण में व्यापारी लोगों का संगठन है फिर भी वहां करूआ तेल ३ रु० सेर बिकता है और इसलिये मेरा कहना है कि ऐसी जगहों में को-आपरेटिव इसके लिये बनाना चाहिये। उत्तर बिहार के बारे में एक कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ने कहा कि वहां पर किसी को-आपरेटिव के लोग रुपये को हड़प गये। तो किसके चलते हुआ कैसे हुआ यह तो माननीय मंत्री ही समझें। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि १९६२ की ऑडिट रिपोर्ट में पेज ६५ में है। १९५७-५८ में बिहार में एक को-आपरेटिव स्पीनिंग मिल को १० लाख रुपया दिया गया पर आज तक वह मिल नहीं खुल पाया। दूसरी जगह उसी रिपोर्ट में है कि १९५८-५९ में गवर्नमेंट ने ए सम ऑफ रुपीज १० लाख पूर्णियां के को-आपरेटिव सुगर फैक्टरी पर इनवेस्ट किया लेकिन वह अभी तक चालू नहीं किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से १० लाख रुपया पूर्णियां सुगर फैक्टरी को खोलने के लिये दिया गया लेकिन वह अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। न मालूम इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या गड़बड़ी है, सरकार ही जाने।

उपाध्यक्ष—आप बैठ जाइये, आपका समय समाप्त हो गया।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—उपाध्यक्ष महोदय, जितने समय बाकी रह गये हैं उतने समय में सम्भव नहीं है कि मैं सभी बातों का जवाब दे दूं लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जितनी भी बातें कही गयी हैं सभी पर मैं उचित कारवाई करूंगा। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका जवाब दे देना जरूरी है। श्री कपूरी ठाकुर ने कहा कि को-आपरेटिव में नन-आफिशियल मेम्बर क्यों हैं। मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि पहले इसके मिनिस्टर्स लोग भी आफिस बेयरर्स थे जैसे श्री दीपनारायण सिंह और अंसारी साहब आदि, लेकिन उनलोगों ने इस्तिफा दे दिया है नूर साहब ने भी इस्तिफा दे दिया है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि श्री नन्दकुमार सिंह भी जो हाउसिंग को-आपरेटिव के प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है।

यह भी कहा गया है कि लैंड मोरगेज बैंक और मारकेटिंग सोसाइटी में नौमिनेशन से काम चल रहा है और यह नहीं होना चाहिये। मारकेटिंग सोसाइटी के लिये गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है उसके जो यूनिट्स हैं उनसे एलेक्शन कराया जाय यानी जो व्यापार मंडल हैं उनका एलेक्शन कराया जाय। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जबतक हमारे पास कोई संगठन नहीं था तो उस समय अगर चुनाव कराते तो सभी आफिशियल्स लोग आते, लेकिन अब जब हमारे पास व्यापार मंडल हो गये हैं तो अब चुनाव कराने

से जेनिउन रिप्रेजेन्टिव लोग आवेंगे और तब काम ठीक से होगा। लैंड मोरगेज बैंक का अगर प्राइमरी यूनिट्स नहीं होता तो उसको सेट्लमेंट्स कैसे हो पाता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके शेयर होल्डर्स कई हजारों की संख्या में हैं। लेकिन इसका चुनाव कराने में दिक्कत यह है कि लैंड मोरगेज बैंक के पास अभी पैसे नहीं है। अगर हम चुनाव करा देते हैं तो कैसे काम करेंगे अगर उसके रिप्रेजेन्टेटिव आयेंगे। इसलिये जबतक पैसे का इन्तजाम नहीं होता है तबतक चुनाव कैसे करा सकते हैं। जहां तक वीकर सेक्शन को मदद करने की बात है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर वीकर सेक्शन के लोग शेयर खरीदना चाहें तो हम उन्हें इन्सटौलमेंट में कर दे सकते हैं तथा और भी जो दूसरी सुविधा उन्हें देनी होगी, हम देंगे। मैंने ऐसा आदेश दे दिया है कि वीकर सेक्शन के लिये जो मदद देनी हो, दी जाय। आपने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार को जुडिशियल पावर नहीं देना चाहिये, पर इसका जवाब जनक बाबू ने दिया कि जुडिशियल पावर रजिस्ट्रार को रहना चाहिये। सवाल यह है कि किसी तरह के को-आपरेटिव संगठन के झगड़े को रजिस्ट्रार फैसला करता है। अगर हम इसे जुडिशियल ब्रान्च में दे देते हैं तो फैसला करने में देरी होगी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि चाहे कांग्रेस दल के लोग हों, या स्वतंत्र पार्टी के हों या कम्युनिस्ट पार्टी के हों, जब आपस में कुछ गड़बड़ियां होती है तो क्यों कचहरी में जाते हैं। वे कचहरी में नहीं जाते हैं बल्कि इसका फैसला घर में ही कर लेते हैं। अगर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग ऐसे झगड़े को कचहरी में ले जायें तो ले जायं, लेकिन मैं इसके लिये राय नहीं दूंगा। अगर को-आपरेटिव के झगड़े का फैसला करने के लिये जज मुकर्रर कर दें, कचहरी में भेजने लगें तो मुकदमेबाजी शुरू हो जायेगी और कचहरी में जाने से कोई भी को-आपरेटिव काम नहीं होगा। आपने यह भी कहा कि को-आपरेटिव के हाई आफिशियल्स के लिये ट्रेनिंग को व्यवस्था करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिये भी इन्स्टीच्यूशन हैं जिसका नाम कॉ-आपरेटिव फेडरेशन है और उसके जरिये ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि यहां पर इसकी जरूरत नहीं है। जो हाई सर्किल के आफिसर्स हैं उनको मैं को-आपरेटिव फेडरेशन के जरिये ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं समझता हूं। श्री कर्पूरी ठाकुर ने कहा है कि व्यापार मंडल यानी स्टौकिस्ट लोग किसानों को समय पर गल्ले की कीमत कम देते हैं। इसके लिये जैसा मेरा ख्याल है वैसा ही श्री सूरज नारायण सिंह का भी है। बात यह है कि जिस समय गल्ला की फसल होती है उस समय गल्ला का दाम कम होता है और उसी वक्त किसान लोग अपने गल्ले को व्यापार मंडल के पास ले जाते हैं तथा व्यापार मंडल उनको ५० प्रतिशत अग्रिम दे देता है। व्यापार मंडल उस स्टौक को जमा करता है और ऐसा उनसे कहा जाता है कि गल्ला बिक्री होने पर बकीये रुपये पीछे ले जायं। इसलिये ऐसा कहा गया कि किसानों को पूरा रुपया न मिलने से लोश होता है। अगर पूरा रुपया दे दिया जाय व्यापार मंडल को तो फाइनेनिशियल कम्प्लीकेशन होगा क्योंकि वह तो सिर्फ गल्ला रखता है और वह अपना स्टौक नहीं करता है। उपाध्यक्ष महोदय, जब श्री महाबीर बाबू ने कचहरी का जिक्र किया तो आपने ठीक ही कहा कि उसका जिक्र कम होना चाहिये। मेरे एक दोस्त ने कहा कि टी० ए० का रेट बढ़ा दिया है। मैं कहता चाहता हूं कि को-आपरेटिव फेडरेशन बिल्कुल नन-आफिशियल संस्था है और उसका चुनाव भी वही लोग कराते हैं और अपने में से एक आदमी को प्रेसिडेन्ट बना देते हैं। अब कितना रुपया वे लोग देते हैं मुझे मालूम नहीं है और मुझे उसमें दखल देने का अधिकार भी नहीं है। फेडरेशन के चेयरमैन के रेट में वृद्धि हो गयी है तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं, इसका जवाब हम नहीं दे सकते हैं। एक सज्जन ने को-आपरेटिव फार्मिंग का विरोध किया

लेकिन मेरी ऐसी मनोवृत्ति नहीं है। जो लैंडलेस हैं, या छोटे-छोटे किसान हैं और पास ५-१० कट्ठा जमीन है उनको किस तरह से सरकार सुविधा देगी इरिगेशन के लिये या फर्टिलाइजर के लिये जिससे वे खेती कर सकें इस पर भी विचार किया गया है। अगर हम खेतों में उनको मदद नहीं करेंगे तो फसल कैसे होगी। मैं चाहता हूं कि उनको सुविधा मिले और इसलिये उनकी जमीन को एक जगह कर दी जाय और कोआ-परेटिव के माध्यम से फर्टिलाइजर इरिगेशन, ऋण और मारकेटिंग आदि की सुविधा उन्हें दी जाय। मैं नहीं समझता हूं कि इसका विरोध किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह कही गयी है कि माइनिंग एरिया में लेबर को-आपरेटिव बना देना चाहिये और इसलिये कि वहां के लेबर मनी लेन्डर्स के चंगुल से बच जायं। लेकिन यह धारणा गलत है। अगर हम माइनिंग एरिया में लेबर को-आपरेटिव बना देते हैं तो माइनिंग का वर्किंग भी उनके ही हाथ में रहेगा और मैं पूछता हूं कि आप क्या इसके लिये तैयार हैं? श्री जनक सिंह ने कहा है कि ३८ लाख रुपये का टारजेट मल्टीपरपस को-आपरेटिव सोसाइटी के लिये रखा गया था लेकिन फाइनेन्स की डिफिकल्टी के कारण रुपया नहीं दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि उनके लिये फाइनेन्स की डिफिकल्टी मेरे पास नहीं है और हम उनको रुपया देने के लिये तैयार हैं। इसमें रुपया का अभाव नहीं है। इसमें औरगनाइजेशन का आभाव है। और मैं यह भी कहता हूं कि इसमें अगर आप ज्यादा दिलचस्पी से मेहनत करें तो अभी जो २० परसेंट लोग को-आपरेटिव में हैं इसे बढ़ाकर आप ८० परसेंट तक ले जा सकते हैं। अगर इस काम में आपको कोई कठिनाई हो तो मैं आपलोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इसमें आपका साथ दूंगा और मदद दूंगा। लेकिन आप यह समझते हैं कि सिर्फ सहकारिता विभाग के लोग इसे कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता।

श्री कर्पूरी ठाकुर——सिम्प्लीफिकेशन औफ प्रोसिड्योर होना चाहिये।

श्री कृष्णवल्लभ सहाय——इसमें कोई शक नहीं है। आप काम तो शुरू तो करें। इसमें अगर दिक्कत होगी तो हम इसे सोल्व करेंगे। आप कहें तो लेजिस्लेटर्स को डिस्ट्रिक्टवाइज बुलाकर हम काम करें लेकिन आपकी मदद का होना बहुत जरूरी है वगैर इसके हम काम नहीं कर सकते हैं।

अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि शुगर फैक्ट्रीज को-आपरेटिव के जरिये ईख नहीं लेती हैं लेकिन हमारे डिप्टी मिनिस्टर, शुगरकेन ने बतलाया कि जहां ७५ परसेंट ईख कोआपरेटिव के जरिये मिल सकती है वहां मिल के लिये यह ओबलिगेटरी हो जाता है कि उसके जरिये ईख ले।

इसके बाद वीवर्स को-आपरेटिव के बारे में कहा गया है कि एकाउन्ट औडिट नहीं होता है जिसके कारण रिबेट नहीं मिलता। तो मैं यह बतला दूं कि औडिट हो गया है और अब कोई कठिनाई नहीं होगी। जितना रिबेट होगा हम दे देंगे। कहा गया कि औडिट यहां कम होता है। तो यह सही है कि जितना होना चाहिये उतना नहीं होता है। इसमें दिक्कत यह होती है कि हमारे यहां जो औडिटर जाता है तो एकाउन्ट्स को वह रिकंसाइल करता है और तब वह रिकंस्ट्रक्ट करता है इसलिये इसमें देर हो जाती है। दूसरे मुल्क स्विटजरलैंड में हमारे एक अफसर गये थे उन्होंने बतलाया कि वहां हिसाब-किताब में कोई दिक्कत नहीं होती। ५ मिनट में हिसाब मिल जाता है। तो हमारे यहां भी औडिट की दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि हमारे यहां स्टाफ की कमी है। हम तो चाहते हैं कि औडिट हो जिसके लिये हमने स्टाफ बढ़ाया है।

कहा गया है कि ७ हजार को-आपरेटिव सोसाइटीज मुर्दा हैं लेकिन हमें यह जानकारी है कि हमें १० हजार को-आपरेटिव को रिवाइव करना है जिसमें हम ४ हजार को सवसिडी देंगे।

श्री कर्पूरी ठाकुर—को-आपरेटिव मैनुअल हिन्दुस्तान के हर प्रान्त में है, आपने यहां क्यों नहीं तैयार कराया ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—आप भी तो इसके मेम्बर हैं। अभी तो हमलोग बझे हुए हैं असेम्बली सेशन के बाद आपको बुलाकर जब चाहेंगे ऐसा कर सकते हैं। आपको हक है सही राय देने का।

उपाध्यक्ष महोदय, जितनी बातें कही गई हैं सबका जवाब तो हमने नहीं दिया और न दे सकते हैं लेकिन मैंने तमाम बातों को नोट कर लिया है माननीय सदस्य चाहें तो मुझ से पत्र व्यवहार कर सकते हैं मैं उनका जवाब दूंगा, जवाब ही नहीं बल्कि डिपार्टमेंट में जल्द उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा।

श्री कामदेव प्रसाद सिंह—रिजर्व बैंक औफ इंडिया ने १९.४० लाख रुपया दिया था उसमें आपने केवल ४.९० लाख लिया। तो बाकी क्यों लैप्स कर गया ?

श्री कृष्णवल्लभ सहाय—हम क्या करें। आपका कहना सही है लेकिन हमारे पास जो संगठन है वह ठीक नहीं है इसलिये इतना पैसा हम कैसे खर्च करें। हम चाहते हैं कि संगठन मजबूत हो आप इसमें हमारी मदद करें। आप अगर मदद करेंगे तो रिजर्व बैंक और गवर्नमेंट औफ इन्डिया से रुपया लायेंगे।

उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि the Item of Rs. 15,600 for "Direction—R Registrar" be omitted.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष—अब प्रश्न यह है कि :

"सहकारिता" के संबंध में ३१ मार्च, १९६४ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान की दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिये ४,१२,४४,४०० रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लिखित भाषणों का सभा पटल पर रखा जाना।

LAYING ON THE TABLE OF WRITTEN SPEECHES.

उप-सचिव—सहकारिता विभाग के अनुदानों की मांगों के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित [*] वक्तव्य सभा पटल पर रखे हैं :—

(१) श्री प्रभुनाथ तिवारी।
(२) श्री दासू सिंह।
(३) श्री शुभ नारायण प्रसाद।
(४) श्री गोकुलेश्वर मिश्र।
(५) श्री राजपति राम।
(६) श्री चेतू राम।
(७) श्री सूरज नारायण सिंह।
(८) श्री राम किशुन सिंह।
(९) श्री नृपेन्द्र नारायण सिंहदेव।
(१०) श्री सिंगराय मुर्मू।
(११) श्री योगेन्द्र महतो।
(१२) श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह।
(१३) श्री शरण बालमुचू।
(१४) श्री ब्रजमोहन सिंह।
(१५) श्री गौरीशंकर केसरी।
(१६) श्री जगदम्बी प्रसाद यादव।
(१७) श्री युवराज।

सभा सोमवार, दिनांक १८ मार्च, १९६३ को ११ बजे दिन तक स्थगित की गई।

पटना :

तिथि १५ मार्च, १९६३।

गोविन्द मोहन मिश्र,
उप-सचिव,
बिहार विधान-सभा।

---

[*] लिखित वक्तव्यों के लिये इस तिथि की कार्यवाही का पूरक देखें।

दैनिक निबन्ध।

(शुक्रवार, तिथि १५ मार्च, १९६३।)

अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण : पृष्ठ

(१) ध्यानाकर्षण की तीन सूचनाएँ आयीं परन्तु उनमें से मुजफ्फरपुर जिले के नानपुर प्रखंड के अन्तर्गत बी० डी० ओ० द्वारा किये गये अत्याचार और ज्यादती के बारे में श्री कपिलदेव सिंह की सूचना स्वीकृत हुई और उस पर वक्तव्य के लिये तिथि २१ मार्च, १९६३ निर्धारित की गयी। १-२

(२) श्री कामदेव प्रसाद सिंह, स० वि० स० द्वारा सारथ थाना के अधिकारी पर आरोप के संबंध में जो ध्यानाकर्षण की सूचना दी गई थी उस पर उप-मंत्री, श्री लोकेश नाथ झा ने सरकारी वक्तव्य दिया। ३

आय-व्ययक : अनुदानों की मांगों पर मतदान

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	
सहकारिता ..	श्री कृष्णवल्लभ सहाय, (योजना एवं सहकारिता मंत्री।)	स्वीकृत।	३—१०

कटौती प्रस्ताव :

विषय।	प्रस्तावक।	परिणाम।	
सरकार की सहकारिता नीति	श्री कर्पूरी ठाकुर.. ..	अस्वीकृत।	१०—३७

वाद-विवाद में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री कृष्णवल्लभ सहाय, मंत्री।
(२) श्री कर्पूरी ठाकुर (प्र० सो० पा०)।
(३) श्री शफीकुल्लाह अंसारी (कांग्रेस पा०)।
(४) श्री अक्षयवट दयाल सिंह (स्वतंत्र पा०)।
(५) श्री जनक सिंह (कांग्रेस पा०)।
(६) श्री साइमन उरांव (झारखंड पा०)।
(७) श्री यदुनन्दन मुर्मू (कांग्रेस पा०)।
(८) श्री सूरज प्रसाद (कम्युनिस्ट पा०)।
(९) श्री तुलसी दास मेहता (सोशलिस्ट पा०)।
(१०) श्री नन्दकिशोर सिंह (स्वतंत्र पा०)।

१७ सदस्यों द्वारा लिखित भाषण सभा-मेज पर रखे गये ३८

बिहार विधान-सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम २०२ तथा २०४ के अनुसरण में बिहार विधान-सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित एवं सचिवालय मुद्रणालय बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।

बि०स०मु० (एल० ए०) १०८—मोनो—८—७७४—१०-१९६३—ज० पंडित

Shri PRABHUNATH TIWARI: Mr. Speaker, Sir, the Hon'ble Minister-in-charge Co-operation forgot to place before the house the future of the Industrial Co-operatives in the State while moving the demand for his department.

The importance of Co-operatives in the rural industries cannot be ganis .id, especially during the emergency when they are expected to play a significant role. Even during the Second World War the British administration took the fullest advantage of the Weavers' Co-operatives and others and entrusted the manufacture and supply of Army blankets, hammers, shovels, bootlaces, folding Charpoys, leather-gloves, bandage-cloths, towels etc., to the Industrial Co-operative Societies. This step, apart from giving employment to a large number of job-hunters, was able to check inflation during the war days.

Even other countries realised the potentialities of these societies. When China herself was fighting against Japanese aggression, destruction caused to the Chinese Industries in cities like Shanghai, prompted the Chinese and their sympathisers to resort to Industrial Co-operatives. Russia also took the help of the Handicraft Co-operatives when that country was fighting German aggression.

I would urge the Government to launch a vigorous drive in this field. Let the old industrial societies be revitalised and fresh ones started. Let them rise to the occasion and undertake to cope with the emergency demands, particularly for military requirements. However, the Government have to take upon themselves the responsibility of providing (*i*) echnical personnel and assistance, (*ii*) adequate financing, (*iii*) raw materials and (*iv*) a well-knit audit organisation.

Sir, in the enthusiasm for a drive the Government agencies vie with each other in setting up larger number of societies which overlap and at times stand in conflict. A single village has half a dozen societies with different names and varying bye-laws. This duplication and repetition of efforts and energies have to be put to a stop. A single powerful and equipped society is worth more than a dozen loosely organised societies with faked membership and unnoticed direction and management.

Sir, last but not the least is the advisability of bringing the movement closer to the agricultural sector, the very quintessence of our economy. The Co-operatives are a must for progressive and improved cultivation. It is regrettable that the department is moving very very slow in this direction.

To conclude, the movement has to grow from within unless the bureaucratic control of the movement is given a go-by, reople's initiative will ever remain a sad misnomer, a day-dream. The State Government should have the courage to hand over the netire movement into the hands of the people. They may err but they will learn by erring. Ultimately the people will come forward with their own plans.

Let us hope, Sir, the Government will muster strength to give a new life and vitality to the Co-operative movement in the State so that it may permeate the soil—the very life of our society.

श्री दासू सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, में सरकार के सहकारिता विभाग के लिये

मांग का हृदय से समर्थन करते हुए चन्द सुझाव पेश कर रहा हूं जिनपर सरकार विचार-विमर्श कर उचित कारंवाई करे तथा देश के मानव तथा मानवता का कल्याण करे :—

मेरा प्रथम सुझाव है कि जबतक सहकारिता विभाग के भीतर के भयंकर भ्रष्टाचार को सरकार निर्मूल नहीं करेगी [तबतक सहकारिता सफल नहीं हो सकेगा। अतएव मेरा सुझाव है कि सर्वप्रथम देश में तथा इस प्रदेश में वास्तविक मानव धर्म, मानव कर्म एवं मानव संगठन सुचारु रूप से सुव्यवस्थित करके जबतक मनुष्यों को सुशिक्षित नहीं किया जायगा, सहकारिता पनप नहीं सकता, सफल होना तो असाध्य ही सा होगा।

मेरा दूसरा सुझाव है जो सबको स्वीकार होगा और जिसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती है, वह है एक सद्गुण का—जिसका "ज्ञानयोग व्यवस्थिति" श्रीकृष्ण महाराज ने सोलहवें अध्याय के १।३ श्लोकों में अर्जुन के समक्ष, प्रचार किया है। अतः खूब समझ-बूझकर, होशियारी तथा ईमानदारी के साथ सहकारता स्थापित करना है और सहकारिता को सुव्यवस्थित करना है। सच्चाई, ईमानदारी, सच्चरित्रता, दयालुता, विश्वबन्धुता, प्रेमपूर्वक मधुरता, सरलता और निर्भयता के साथ जबतक स्वच्छ हृदय से कार्य संपादन नहीं किया जायगा सहकारिता विभाग सुन्दर ढंग से नियंत्रित नहीं हो सकता है। अतएव मेरा सुझाव है कि सहकारिता विभाग के सब कर्मचारियों को और उनसे संबंधित सभी कार्यकर्त्ताओं, सदस्यों, औफिसरों, पंचायतों, बोर्डों, परिषदों एवं व्यवस्थापिका सभासदों को भीष्म संकल्प लेकर प्रतिज्ञा करना चाहिए कि वे गीता में बताये हुए छब्बीसों दैवी संपत्तियों को, जिनका विस्तार रूप से मैंने मानव संहिता के प्रथम भाग में वर्णन किया है, शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करेंगे और छब्बीसों दुर्गुणों को जिनका वर्णन पूर्ण रूप से मैंने अपने मानव संहिता के दूसरे भाग में किया है, शीघ्रातिशीघ्र परित्याग करेंगे तभी संभव है कि सहकारिता विभाग सफल हो सकेगा और मानवता तथा मानव का कल्याण होकर रहेगा और सभी विभागों में सहकारिता सफल हो सकेगा। सहकारिता विभाग को पूर्णरूप से सफल बनाने के हेतु इस प्रदेश के मानवों को मानव संहिता के छब्बीसों रचनात्मक कार्यों को जिनका वर्णन पूर्ण रूप से विस्तार कर मैंने मानव संहिता के प्रथम भाग में किया है, कार्यान्वित करना होगा और निडर होकर पूर्णरूप से अनुशासन रखना पड़ेगा। अतएव मेरा सुझाव है कि हरएक मानव को मानवता का ज्ञान प्राप्त करने के लिये हर ग्राम में, महल्ला में, थाना में, जिला में, डिवीजन में और प्रदेश में सहकारिता विभाग का विस्तार से प्रचार कर समितियों का निर्माण करना होगा और तभी पंचवर्षीय योजना में (१) जूट उपजाने वाली सहकारी समितियों, (२) ईख उपजाने वाली सहकारी समितियों, (३) हस्त करघा उद्योग बढ़ाने वाली

सहकारी समितियों, (४) खादी उद्योग संबंधी सहयोग समितियों, (५) बहुधंधी सहयोग समितियों, (६) सहकारी कृषि समितियों, (७) श्रमिक सहयोग समितियों, (८) ग्राम उद्योग विस्तार समितियों, (९) राष्ट्रीय संबद्धता समितियों तथा (१०) मानवता प्रचार समितियों का सुसंगठन और सुसंचालन भली-भांति होना संभव है। साथ-ही-साथ मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय संबद्धता समितियों के संगठन के हेतु हरएक विभाग के मंत्री महोदय तथा कर्मचारियों को भली-भांति पंचशील के सिद्धान्तों को अपना कर जोरों से कार्यान्वित करना होगा तभी संभव है कि उपर्युक्त सभी समितियों को सुचारु रूप से सुव्यवस्थित कर सफल बना सकेंगे। इसमें मेरा सुझाव है कि सरकार को तनिक भी सुस्ती अथवा ढिलाई और खर्च में कमी अथवा कटाव तथा घटाव नहीं करना चाहिए। उपर्युक्त समितियों के अतिरिक्त मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिए कि (११) युद्ध संबंधी आयुध उत्पादन सहकारी समितियों और (१२) बहादुर जवानों और हट्ठे-कट्ठे तगड़े मानवों को मिलिटरी ट्रेनिंग दिलाव सहकारी समितियों तथा (१३) देश के खनिज पदार्थों का, पूंजी का तथा विद्युत् का राष्ट्रीयकरण सहकारी समितियों का निर्माण कर सफल बनाने के हेतु सरकार को अनिवार्य दृढ़ संकल्प होना चाहिए ताकि हर प्रकार से दृढ़तापूर्वक कुल उपर्युक्त समितियां सफल हों और सहकारिता विभाग फले और फूले। एक और मेरा सुझाव है कि वास्तविक रूप से सहकारिता विभाग की सफलता के लिए सरकार को चाहिए कि पंचायत के सदस्यों को और सहकारिता विभाग के सभी कर्मचारियों को वास्तविक शिक्षा प्रचार कर शीघ्रातिशीघ्र शिक्षित कर दें और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए सुप्रबंध कर दें।

* श्री शुभनारायण प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, सहयोग विभाग की मांग का

समर्थन करते हुए बेतिया कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा हो रही गड़बड़ियों की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय बेतिया कोऑपरेटिव बैंक आज भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है। उक्त बैंक के वर्तमान मंत्री इसके प्रधान कारण हैं। उक्त बैंक में बिना ३-४ रुपए सैकड़े घूस पाये किसी प्राथमिक सोसाइटी को लोन नहीं दिया जाता है। जो प्राइमरी सोसाइटी कुछ नहीं देती उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। स्वयं बैंक के मंत्री ने अपने अड़ोस-पड़ोस के गांवों में प्राइमरी सोसाइटी का बोगस निर्माण करके सभी समितियों के नाम पर स्वयं पैसे लिए हुए हैं और उनके सदस्य को मालूम भी नहीं है कि उनके नाम पर समिति का कर्ज है। इस तरह की कम-से-कम चार समितियां हैं जिनका पूरा का पूरा पैसा सदस्यों के नाम पर दिखला कर रखे हुए हैं। ६-७ साल से उक्त बैंक का चुनाव नहीं हुआ है और सरकार भी उक्त बैंक का चुनाव शायद नहीं कराना चाहती है। यूं तो गत साल ही विभागीय मंत्रीने जवाब दिया था कि शीघ्र ही उक्त बैंक का चुनाव कराया जायगा, लेकिन अभीतक न चुनाव हुआ और न निकट भविष्य में होने वाला है। चुनाव का जो डेलीगेट लिस्ट बनने वाला है उसमें काफी धांधली होने वाली है। बैंक के माननीय मंत्री को आमदनी का सिर्फ यही एक जरिया रह गया है। यही वजह है कि वे चुनाव को निकट भविष्य में कराने के पक्ष में नहीं हैं। उक्त बैंक के संबंध में तथा मंत्री द्वारा किए गये गोलमाल के संबंध में मैंने कई बार शिकायत की लेकिन स्थानीय ए० आर० उसे हजम कर गये। अतः मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि उक्त बैंक में किए गए धांधली और गोलमाल की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाय और शीघ्र उसमें चुनाव कराने का प्रबंध किया जाय।]

उपाध्यक्ष महोदय, मत्स्य पालन सहयोग समिति ब्लौक स्तर पर कायम करने का आदेश सरकार ने दिया है। परन्तु दुःख है कि जोगापट्टी प्रखंड में अभी तक यह काम नहीं हो सका। उसके लिए स्थानीय मछुओं ने दो-तीन साल केवल दरखास्त किया पर ए०आर० को वे खुश नहीं कर सके जिससे ए०आर० ने उक्त प्रखंड में मछुआ सोसाइटी नहीं बनाने के लिए सरकार को लिखा और यहां से उसकी स्वीकृति भी मिल गई। उसका नतीजा हुआ कि स्थानीय मछुआ लोग बेकार हैं और अगर अपना पेशा करते हैं तो उसके लिए उन्हें सिर्फ मजदूरी ही मिलती है।

कई केन मार्केटिंग यूनियनों का चुनाव भी हमारे यहां कई साल से नहीं हुआ है। उसके भी प्रधान कारण बेतिया के ए०आर०. और यहां ज्वायंट रजिस्ट्रार श्री जितेन्द्र प्रसाद हैं। चूंकि बेतिया का ए० आर० श्री जितेन्द्र प्रसाद (केन कमिश्नर) ज्वायंट रजिस्टार के चचा हैं इसलिये वे बेतिया में जो चाहते हैं वह करते रहते हैं। यही वजह है कि बेतिया में जिन यूनियनों का चुनाव ए०आर० ने कराना चाहा वह हुआ और जिनका चुनाव वे नहीं चाहते थे उसमें चन्द तरह की दिक्कतें पेश करके टालते रहे हैं। उसमें लौरिया केन मार्केटिंग यूनियन का चुनाव जीता-जागता उदाहरण है। एक बात और आखिर में कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूं।

वह यह है कि केन कमिश्नर और ज्वायंट रजिस्ट्रार का पद एक आदमी को नहीं रहने दिया जाय। ज्वायंट रेजिस्ट्रार का पद किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाय जो ठंडे विचार का हो और अनुभवी हो।

श्री गोकुलेश्वर मिश्र—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहयोग समिति में सुधार लाने के लिए कुछ सुझाव दे रहा हूं। आज ज़िला सेन्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रत्येक साल जिला बोर्ड के सदस्यों का चुनाव मंत्री कोऑपरेटिव सोसाइटीज द्वारा होता है। उसमें यह होता है कि मतदान एक ही टेन्ट में यानें शामियाने के अन्दर हाथ उठाकर होता है। इसमें बाहर के आदमी भी प्रवेश करके किसी व्यक्ति को अपना मतदान कर देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग कुछ व्यक्ति के दबाव के कारण ही हाथ उठा देते हैं। अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार का मतदान बन्द कराकर विधिवत् सेक्रेट बेलोट पेपर के द्वारा हो जिससे लोगों में असंतोष न हो।

श्री राजपति राम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित सुझाव संताल परगना जिले की तरक्की के निमित्त माननीय सहकारिता मंत्री की मांग को समर्थन करते हुए देना चाहता हूं:—

(१) यह एक सर्वमान्य बात है कि संताल परगना जिला एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ जिला है उद्योग और कृषि सिंचाई आदि के मामलों में तथा यहां के निवासी अत्यन्त दरिद्र हैं जिनकी आमदनी भी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अति अल्प है, अतः यहां इन क्षेत्रों में सहकारिता समितियों का निर्माण करें। माननीय सहकारिता मंत्री यहां विविध छोटे-बड़े उद्योग जैसे कागज, साबुन, कृषि यंत्र, काठ और लोहे के सामान आदि के कारखाने सहयोगी आधार पर करायें। चावल, तेलघानी आदि की समितियां भी अधिक चलवायी जाएं।

(२) कृषि की तरक्की के लिए यहां किसानों की इनकी सहयोग समितियां कायम कराकर ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीन आदि की खरीद के लिए कर्ज दें। कर्ज चाहने वालों

के साथ पूरी सहानुभूति दिखाते हुए उनके आवेदन-पत्रों पर जल्द से जल्द जांच-पड़ताल
करा उन्हें यह सहूलियत दें।

(३) कृषक तथा अन्य प्रकार के मजदूरों की भी सहयोग समितियां कायम करायी
जाएं तथा उनके संचालन का भार योग्य हाथों में दी गयी है इसकी पूरी छानबीन
बीच-बीच में करायी जाय ताकि ये समितियां अच्छी तरह चलें।

(४) जिले में जहां कहीं ऐसी सहयोग समितियां जो चाहे बहुधंधी हों चाहे और
कोई, यदि अच्छी तरह नहीं चल रही तो उनके अधिकारियों को बदला जाय क्योंकि
महाजनी पेशावाले जहां कहीं इसके अधिकारी हो गये हैं इनमें प्रगति लाना नहीं चाहते।

(५) सहयोग समितियां चलाने वाले अधिकारियों की उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था
हो।

श्री चेतू राम---माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता मंत्री द्वारा जो मांग प्रस्तुत की
गई है उसका समर्थन मैं दिल से करता हूं, साथ-ही-साथ माननीय सहकारिता मंत्री जी
को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। अब मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय एवं
अधिकारीगण का ध्यान चन्द बातों की ओर ले जाना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि बिहार राज्य में सहकारिता आन्दोलन जो धीमी पड़ गई
है उसमें तेजी लाने की कृपा करें। इससे राज्य के सहकारिता के द्वारा किसान,
मजदूर की आर्थिक स्थिति में जान आ जायगी और सभी लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे।

दूसरी बात जो कोआॅपरेटिव के द्वारा खाद बांटने और बीज पहुंचाने का काम
हो रहा है वह समय पर नहीं मिल पाता है इसके लिए सरकार इसकी व्यवस्था करे।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि छोटे-से-छोटे महल्ले में भी
इसकी स्थापना हो जाय ऐसा इन्तजाम करना चाहिए।

चौथी बात यह है कि भूमिहीनों के लिए समिति में कोई खास गुंजाइश नहीं है।
इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसकी सुविधा हो जिससे मजदूर भी इसमें
शामिल हो सकें और इसके अधिक-से-अधिक सदस्य बनें। प्रत्येक सबडिवीजन में
कोआॅपरेटिव आरगेनाइजर की बहाली की जाय जिसका काम होगा कि वह गांव-गांव
जाकर इसका प्रचार करें तथा लोगों को समझावे कि इससे क्या लाभ होगा। साथ-
ही-साथ इसकी जांच भी होनी चाहिए कि किस इलाके में अथवा कहां पर कोआॅपरेटिव
समिति कमजोर पड़ रही है, उसके कारणों की छानबीन करे तथा सरकार के समक्ष
प्रस्तुत करें।

पांचवीं बात यह है कि समिति की स्थापना के समय में निबंधक द्वारा निबन्धन
किया जाता है उसमें बड़ी देर हो जाती है। इसलिए सरकार की ओर से खास
चेतावनी विभाग को दे देनी चाहिए कि उसका निबन्धन १५ (पन्द्रह) दिनों के अन्दर
ही हो जाय।

अन्त में यह बात कहकर मैं समाप्त कर देना चाहता हूं कि इस आन्दोलन में ऐसी
तीव्रता लानी चाहिए कि अन्य प्रान्तों के मुकाबले में हम कम नहीं रहें।

श्री सूरज नारायण सिंह---अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा जनतान्त्रिक समाज-
वादी समाज के निर्माण की घोषणा की गई।

मैं सहकारिता मंत्री से शत प्रतिशत सहमत हूं कि जनतान्त्रिक समाजवादी समाज के निर्माण में यदि कोई प्रमुख स्तम्भ है और हो सकता है तो एक जागृत ईमानदार तत्वों से निर्मित और संचालित सहयोगी संगठन ही। परन्तु मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अबतक जो इस राज्य में सहयोगी आन्दोलन और संगठन के निर्माण की चेष्टा हुई, उसमें प्राय: ऐसे लोगों का हाथ रहा है, चाहे वह सहयोगी कार्यकर्त्ता हों या सरकारी अफसर, अधिकांश लोग ऐसे रहे हैं और हैं जिन्होंने सहयोगी आन्दोलन का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिये ही किया है। फलत: आज आम जनता का विश्वास सहयोगी आन्दोलन से उठता जा रहा है। हमारे लिये जो जनतान्त्रिक समाजवाद में विश्वास करते हैं यही सबसे चिन्ता का विषय है। आज पूंजीपतियों की ओर से या पूंजीवादी अर्थनीति में विश्वास रखने वाले लोगों की ओर से यही प्रचार किया जाता है कि सहयोगी आन्दोलन सफल नहीं हो सकता। उनकी ओर से कहा जाता है कि "साझी सूई साइंग पर भी न चलें"। निःसंदेह ये पूंजीवादी अर्थनीति का जो गहरा असर हमारे समाज पर है, उसका ही असर है।

उपाध्यक्ष महोदय, बनमन्खी चीनी कारखाना का निर्माण करने में जब हमारी सरकार बारह वर्षों में भी असफल रही तब पूंजीवादी अर्थनीति में विश्वास करने वालों के प्रचार में जनता अगर फंस जाती है तो इसका उत्तरदायित्व किस पर हो सकता है सिवाय सरकार के। गुरारू चीनी कारखाने को चलाने में जब सहयोग समितियां असफल रहीं तो सरकार को कौन-सा मुंह रह गया कि वह जनता से सहयोगी संगठन या सहयोगी कारखाने या उद्योग के लिये, चाहे वह जिस प्रकार का हो, शेयर खरीदने के लिए कहे।

इस तरह के उदाहरण की यदि हम तालिका प्रस्तुत करने लगें तो वह ऐसी लम्बी होगी कि एक रामायण बन जा सकती है। यही हाल सूगर कोआॅपरेटिव यूनियन और हैन्डलूम वीभर्स एसोशियेसन का है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं (मधुबनी) वहां कई केन कोआॅपरेटिव यूनियम हैं परन्तु क्षमा करेंगे, प्राय: हर यूनियन पर डिफालकेशन का अभियोग है। जो राजनगर केन कोआॅपरेटिव यूनियन के मंत्री हैं कई साल पहले उनपर ही करीब १२,००० रु० के डिफालकेशन का अभियोग था और मेरा दावा है कि वह अभियोग सही था। पर पता नहीं कि आज वही महाशय, किस प्रकार पुन: मंत्री हो गये। यद्यपि आज भी उनके नाम पर कोआॅपरेटिव का कई हजार रुपए कर्ज है जिसे उन्होंने अपने लड़के के नाम कर लिया है। यही हाल हैन्डलूम कोआॅपरेटिव यूनियन का है। यथार्थ में जो बुनकर (उत्पादक) हैं उन्हें तो इसका कोई लाभ नहीं मिलता और यदि मिलता भी है तो नाम मात्र के लिये पर उसके नेता और अफसरों के पौ बारह हैं।

अब मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि यदि ईमानदा ी से सरकार सहयोगी आन्दोलन को व्यापक और मजबत बनाना चाहती है, जिससे यह हमारे सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की भित्ति हो सके तो सरकार अफसरों के सख्त नियंत्रण से तथा मुट्ठी भर ऐसे लोग जो सरकारी दल के समर्थन का अनुचित लाभ सहयोगी आन्दोलन के माध्यम से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं उनके चंगुल से सहयोगी आन्दोलन को निकालकर आम लोगों के प्रवेश के लिये द्वार खोल दे। इसके लिये रूरी है कि १९३४ के बने (अंग्रेजी शासन के द्वारा जिस को-आॅपरेटिव बाइ-लाॅ का निर्माण हुआ था) बाई-लाॅज में आमूल परिवर्तन हो। निःसंदेह आज माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय जी के हाथों में कोआॅपरेटिव विभाग के आने से लोगों में यह विश्वास अवश्य हुआ है कि सहकारिता आन्दोलन में जीवन आयेगा। क्या माननीय

सहकारिता मंत्री जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा है बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के सहकारिता आन्दोलन में विश्वास रखने वालों का सम्मेलन बुलाकर इस आन्दोलन को स्वस्थ और जीवित करने के लिये हर कदम उठायेंगे।

श्री रामकिशुन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग ने जो सदन में मांग पेश की है उसका मैं समर्थन करता हूं, साथ-साथ कुछ सजेशन भी देता हूं।

(१) वारसलीगंज मोहनी सुगर मिल के जिम्मे केन-यूनियन, वारसलीगंज का लगभग एक लाख रुपए से भी ज्यादा केन-कमीशन के बाकी हैं। वो रुपया अभी नहीं दे रहा है। अगर देता तो उस रुपये को केन डेवलपमेंट में खर्च किया जाता चूंकि मिल मालिक उस एरिया में एक पाई भी डेवलपमेंट में खर्च नहीं कर रहा है।

(२) वारसलीगंज में एक जाग्रीक मिल भी है जो साल में लगभग दो लाख मन ईख की पेराई करता है। यह मिल किसानों का ईख मनमानी रेट से लेता है, इस पर सरकार की ओर से कोई पाबन्दी नहीं है। सभी ईख सोसाइटी के भाव से लेता है और केन कमीशन भी नहीं देता है। इसलिए मेरा सजेशन है कि सरकार उस मिल पर जल्द-से-जल्द कार्रवाई करे।

Shri NRIPENDRA NARAYAN SINGH DEO: Mr. Speaker, Sir, rising to oppose the demand for "Co-operation", I would like to say that as the very word "Co-operation" indicates, it can only thrive in a congenial atmosphere—it can thrive in a place where there is genuine desire of the administration, to mix and co-operate with the people for their upliftment. It can never have its root in a place where the people are looked down upon as something different, somewhat apart from the officials who administer the land. It is for this reason, Sir, that Co-operative movement has been a total failure in Seraikella subdivision—so much so that there is not a single Consumers' Co-operative Society in the whole of this subdivision. In other branches of Co-operation also it is far behind than other parts of the State. Sir, the administrative set-up in this subdivision is such that the officers, who are running the administration have nothing in common with the people of the place. In the first place, they live a mile and a half away from the town, in an exclusive locality of their own; therefore, they do not know, nor can they ever aspire to know, the wishes and the aspirations to the people, their difficulties, their heart throbbings. Secondly, Sir, all the good intentions of the Government, all the publicity and propaganda of a welfare State are conducted in a language which is unintelligible to the vast majority of the people. So the people have not yet understood the real spirit and the benefits of the Co-operative movement. Thirdly there are no local officers—all the officers are outsiders; therefore, the benefits of the movement do not percolate for the intelligence of the people through that source. At the conclusion, I would say if we aim at real co-operation to thrive, the whole administrative policy of the Government has got to be reoriented,

With regard to the cut motion standing in my name against the demand, Sir, I would lay stress on the same non-co-operative attitude of the administration and its officers. The Government do not understand the problems of Seraikella-Kharsawan, its Temples and Shrines—that may be pardonable, but what is not excusable is that nobody—whether a Minister, an Officer or any-body else—tries even to understand its problems. The Temple fund was created to meet the Puja expenses and other religious expenses in the traditional and customary manner. It was never meant to be diverted in making new temporary shed and new temporary temples and spending the money in novel Pujas. That should have been far from the intention of the Government or the Legislature, particularly in a secular State as ours to misspend the money in novel Pujas and establishing new Pithas, temples and shrines. Last year, Sir, I had brought to your notice this great misuse of public fund. This year the nomenclature has been slightly changed. This change in nomenclature will not help in its not being misused. What is actually needed is change of heart and change of attitude—a reorientation of the whole policy.

श्री सिंगराय मुरमू—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो सहकारिता के संबंध में कटौती-प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री कर्पूरी ठाकुर लाये हैं उसका मैं समर्थन करते हुए सदन के समक्ष अपने जिला संथाल परगना की सहकारिता से संबंधित कुछ समस्याएं आपके माध्यम से पेश करता हूं।

हमारे जिला में सहकारिता सर्वप्रथम पहली पंचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ हुई। यह उस समय का इतिहास है जबकि हमारे जिला में विशेष रूप से आदिवासी लोग केवल महाजनों पर ही निर्भर करते थे।

वहां महाजनों की एक प्रबल शक्ति थी, जहां आदिवासियों को सर्वप्रथम सरकार की इस सहकारी योजना पर कोई विश्वास ही नहीं था। सन् १९५२-५३ में जब सरकारी कृषि कर्ज से लोग लदे हुए थे ; जिस समय अफसरों की पूरी ताकत और पुलिस के द्वारा कर्ज वसूल हो रहा था। लोग सरकारी रुपए से भयभीत होकर सरकारी अफसरों के निकट जाने से घृणा करते थे।

लेकिन धीरे-धीरे जब लोग समझने लगे कि यह योजना गरीब किसान और मजदूरों को उठाने की शक्ति है, आवाज है, तो जहां-तहां कृषि सहकारिता की स्थापना हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में करीब-करीब सारे जिले के अन्दर यह प्रचार फैल गया और जारी रहा, मछुआ सहकारी भी हमारे जिला में स्थापित हुई।

भिन्न प्रकार की सोसाइटी कायम होने पर भी अधिकतर यह देखा गया कि महाजनों से मुक्ति पाने का उपाय जो बहुधंधी सहयोग समितियों से हो सकता था और गरीब आदिवासियों को केवल महाजनों से मुक्ति ही नहीं मिलती बल्कि आर्थिक जीवन में भी यह कम समय में अग्रसर हो सकता था, वैसा देहातों में कहीं भी अबतक नहीं हो पाया है। शहर के आस-पास, मछुआ और बुनकर की समस्या तो समाधान हो ही गयी लेकिन दलित आदिवासियों की समस्या जैसी की तैसी है। इसका मूल कारण प्रखंड

कार्यालय में बैठकर कागज और आंकड़ों में भरोसा रखने वाले आफिसरों की लापरवाही था। लोगों को उत्साहित करने की ओर किसी आफिसर ने भी अपना कर्तव्य को पूर्ण रूप से पालन नहीं किया और यही कारण है कि आदिवासी आज भी महाजनों के चंगुल में पड़े हुए हैं।

हमारे क्षेत्र में कृषि सहकारिता के रहते लोगों में उसकी ओर जागृति नहीं होने का कारण आफिसरों द्वारा राजनैतिक पेंच है। यदि किसी आदिवासी सहकारी समिति के मंत्री द्वारा कुछ भी रुपये वसूल करने में समय लग जाता था तो उनपर धारा ४०६ चलाया जाता था। सर्वप्रथम हमारे क्षेत्र में बोरियो का पी० ई० ओ० द्वारा पाराडार पंचायत का मुखिया आर्थर हंसदा को हथकड़ी लगाकर भेजा गया, दूसरा तालझारी के बी० डी० ओ० ने पहाड़पुर के सहकारी-मंत्री जदु सोरेन को हथकड़ी लगा कर कचहरी भेजा। बाद में बहुत झंझट के बाद उन दोनों का जमानत हुआ। उन लोगों के पास हैसियत थी, समय का अभाव था, गरीब किसानों के पास पैसे जल्द नहीं आने के कारण कुछ देर हुई। बाद में वे व्यक्ति पूर्ण रुपये अदा करने पर छुटकारा तो पाये, लेकिन मुखिया या भद्र लोग जिनको हैसियत होते हुए भी हथकड़ी पहनाकर अदालत में सौंपा गया इस भय से सहकारी की प्रगति हमारे क्षेत्र में बहुत धीमी पड़ गयी है। पहले लोग कृषि कर्ज से डरे लेकिन पीछे सहकारिता से डरने लगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को अर्ज करूंगा कि आदिवासियों के क्षेत्र में ऐसी धांधली नहीं हो। तीसरा एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं कि बोरियो प्रखंड के अन्तर्गत छोटा लक्ष्मी सहकारी के मंत्री निकोलास टुडू पर अभी सरकार ने वारन्ट निकाल दिया है। मुझे उस व्यक्ति का चरित्र अच्छी तरह से मालूम है। सोसाइटी के सदस्यगण फसल में सूखा के कारण क्षति होने से पैसा जुटा नहीं सकते हैं जिसके फलस्वरूप आज सहकारी का मंत्री जेल में भेजे जाने वाला है। उसके पास जमीन-जायदाद है, मवेशी भी है यदि उसको गिरफ्तार नहीं करें तो इसी महीना के अन्दर वह कुल रुपये चुका सकता है।

इसलिए अन्त में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वेलफेयर स्टेट में ऐसी धांधली नहीं चलाया जाय जिससे गरीब आदिवासी लोगों को भारतीय नागरिक होने के नाते इसका फल नहीं भोगना पड़े।

श्री योगेन्द्र महतो—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय जी

ने जो मांग उपस्थित की है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपना सुझाव भी रखना चाहता हूं। भारतीय समाज को समाजवादी ढंग पर लाने में सहकारिता आन्दोलन और उसके विकास का बहुत अधिक महत्व है। सरकारी ढंग पर कार्य करने वाली कृषि साख और विक्रय समिति, उपभोक्ता भंडार, श्रमिक और उत्पादन समितियां सरकार के उद्देश्य की प्राप्ति में विशेष रूप से मदद करेगी।

राज्य सरकार सहकारी संस्थाओं को रुपया ऋण के रूप में देती है, हिस्सा-पूंजी के रूप में नहीं। इतना सत्य है कि सहकारी संस्था को रुपये की आवश्यकता है पर सबसे अच्छी चीज होगी कि सहकारी आन्दोलन के मुख्य आधार अर्थात् हिस्सा-पूंजी को दृढ़ बनाने की कोशिश की जाय। साथ ही सरकार को जो लाभ अपनी हिस्सा-पूंजी पर एक नियत राशि से अधिक प्राप्त हो वह सब शीर्षक बैंकों में जमाकर दें और फिर इससे सहकारिता आन्दोलन के विकास में उचित अवसरों में पर खर्च करती रहे। परन्तु

आन्दोलन को जहां तक हो सके अपना उद्देश्य नहीं भूलना चाहिये। वह उद्देश्य आत्म-निर्भरता का है। जब आन्दोलन के विकसित होने पर सहकारी संस्थाएं अधिकांश शक्तिशाली हो जायं और जनता की आर्थिक दशा संतोषजनक हो जाय तो इसको अपने पैरों पर आप खड़े होने का सामर्थ प्राप्त कर लेना चाहिए।

अब में सरकार का ध्यान मुंगेर जिले की सहकारी संस्थाओं की ओर ले जाना चाहता हूं:

(१) मुंगेर सेन्ट्रल कोपरेटिव बैंक—इस बैंक को सरकार ने पांच वर्ष पूर्व भवन-निर्माण हेतु करीब ८० हजार रुपये दिया था। उसमें आधा अनुदान के रूप में और आधा कर्ज के रूप में दिया गया। खेद का विषय है कि वहां के डायरेक्टरों की असावधानी के कारण आज तक भवन-निर्माण नहीं हो सका। सरकार ने कुछ सिमेन्ट और लोहे की भी व्यवस्था की पर वह किस अवस्था में आज है पता नहीं। कर्ज का सूद बैंक पर बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार का ध्यान अविलम्ब उस ओर जाना चाहिए। साथ ही उस बैंक की चुनाव की अवधि ३० जून, १९६२ को समाप्त हो गई है जिसका चुनाव कि ६ महीने के भीतर अवश्य होना चाहिए पर आज तक नहीं हो पाया है। आशा करता हूं सरकार शीघ्र चुनाव कराने की व्यवस्था करेगी।

(२) वन सहयोग समिति—मुंगेर जिले के मुफस्सिल थानान्तर्गत एक मात्र वन सहयोग समिति है। सरकार ने इस वन सहयोग समिति को दो कूप दिये, पर वहां के ठीकेदार गलत ढंग से जिला विभागीय अफसर को मिला कर परेशान कर रहे हैं। सरकार का ध्यान शीघ्र उस ओर जाना चाहिए जिससे ठीकेदारों के चंगुल से सहकारी समिति बच सके। पैसे के बल पर ठीकेदार सहकारी आन्दोलन को दबाना चाहते हैं।

(३) मत्स्य सहयोग समिति—मुंगेर जिले में १९५५ साल में मछुआ सहयोग समिति का निर्माण किया गया। कुछ दिनों के बाद इसका कार्यक्षेत्र और सदस्यों की संख्या इतनी बढ़ गई कि एक साथ काम करना मुश्किल हो गया। अतः १९५६ साल में इसे तीन भागों में विभक्त कर दिया गया—(१) मुंगेरमत्स्य सहयोग समिति, (२) बरियारपुर मत्स्य सहयोग समिति तथा (३) सूर्यगढ़ा मत्स्य सहयोग समिति।

विभागीय अधिकारी क्षेत्रों का बटवारा करने में बराबर हेर-फेर करते रहते हैं जिससे आपस में वैमनस्य बढ़ता है और कार्य ढीला पड़ता है। उदाहरणस्वरूप में मुंगेर मत्स्य सहयोग समिति तथा बरियारपुर मत्स्य सहयोग समिति का केस रखता हूं। बरियारपुर सहयोग समिति को सर्किल नं० १, २, ४, ६ और ७ के अन्दर के हिस्से का जलकर दिया। गया सन् १९५६ में उसी आधार पर इसकी रजिस्ट्री भी हो गई। कुछ दिनों के बाद १९५४ के विभागीय सरकुलर का आधार लेकर डिप्टी रजिस्ट्रार, बिहार सरकार ने सन् १९६० में पुनः परिवर्त्तन कर दिया जिससे कि सर्किल नं० १ और ४ जो बरियारपुर सहयोग समिति को दिया गया था, काट कर मुंगेर जिला सहयोग समिति को दे दिया गया और मुंगेर क्षेत्र का ढकरा नाला बरियारपुर समिति को दे दिया गया। इस परिवर्त्तन से दोनों सहयोग समितियों में काफी झंझट पैदा हो गया। बरियारपुर सहयोग समिति ने इस आज्ञा के विरुद्ध रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव बिहार सरकार के पास अपील की जो आज भी उनके विचाराधीन है। इसी बीच इस वर्ष १९६३ में जिला रजिस्ट्रार, मुंगेर ने ढकरा नाला को धरहरा समिति सहयोग को बन्दोबस्त करने के लिए सिफारिश की। इसमें सरकारी अधिकारियों ने पुनः गड़बड़ी पैदा कर दी है। एक अधिकारी विभाग के पूरे कागजात को देखे बिना अपने उच्च अधिकारियों की आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। सरकार इस ओर ध्यान दे तथा इस कुव्यवस्था को दूर करे।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कहना चाहता हूं :—

पूरे राज्य में तृतीय योजना के अन्तर्गत सरकार सहकारिता पर ५,१८,०२ लाख रुपया खर्च करने जा रही है जिससे पूरे राज्य में ७,५०० नई छोटी बहुधंधी सहयोग समितियां खोली जायेंगी। इस तरह पूरे राज्य में २३,००० सहयोग समितियां बन जायेंगी। पूरे राज्य में ग्यारह हजार ग्रामपंचायतें हैं और इस हिसाब से हर पंचायत में औसतन दो सहयोग समितियां बन जायेंगी।

योजना का १० प्रतिशत कार्य इन समितियों द्वारा राज्य के द्वितीय प्लान के अन्त तक हो सके। अब अन्दाज है कि तृतीय योजना में प्लान का २३ प्रतिशत कार्य हो पायेंगे।

राज्य के १,६६० समितियां को पुनर्जीवित या सुचारुरूप से चलाने के लिए राज्य Credit के खजाने का १३८,२६ लाख रुपये खर्च किये गये। १८०,०० लाख रुपये Agricole Societies पर खर्च किये जायेंगे। साथ ही ५० प्राइमरी मार्केटिंग सोसाइटीज खोलकर जनता को काफी राहत पहुंचाने की योजना है।

इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि यह आंकड़ा सिर्फ कागज का आंकड़ा है और भोली-भाली जनता को बरगलाने के लिए है, लेकिन काम के लिए नहीं।

आज इनका उद्देश्य ग्राम-पंचायत और सहयोग समितियों के द्वारा ही समाजवादी राज्य लाने का है। पर मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेसी सरकार इन दो संस्थाओं को भी जनता की निगाह में अपने कार्यकलाप के द्वारा बदनाम कर देना चाहती है।

प्रमाण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि सभी ग्राम-पंचायतों में दलगत भावना के आधार पर कार्य होते हैं। वही हालत सहयोग समितियों में भी है। कहीं भी दोनों में सामंजस्य नहीं है। सभी जगह भिन्न-भिन्न गिरोहों में ये दोनों संस्थाएं बंटी हैं जिससे समाजवाद की रीढ़ टूट रही है।

अधिकांश सहयोग समितियों की पूंजी और सरकारी अनुदान वहां के पदाधिकारियों की जेब में या व्यक्तिगत कार्य में लग कर समिति के काम में बाधा उपस्थित किए हुए हैं।

क्या मैं उम्मीद करूं कि सरकार इन समितियों को विघटित कर अच्छी समितियों का संगठन कर राज्य की जनता की सेवा बड़ी तत्परता और लगन के साथ करेगी?

तृतीय योजना में सहयोग समितियां प्लान का २३ प्रतिशत ही काम कर सकेंगी, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि वैसा प्लान ही क्यों बनाया गया जिसका २३ प्रतिशत ही कार्य हो सके, बकिए काम भाग्य-भरोसे छोड़ दिया जाय, तो यह प्लानिंग किस काम का। मैं कहूंगा कि हमारा प्लानिंग ऐसा हो कि हम उस पर अमल कर सकें और उसको कार्यान्वित भी हम शीघ्र कर सकें।

उसी तरह पुनः जीवित की गई समितियों का आंकड़ा पूरा ठगने वाला आंकड़ा है। कहीं भी पुनः जीवित होकर समितियां अभी तक मुस्तैदी से काम करना शुरू नहीं किया है। यही हालत क्रेडिट एग्रीकोल सोसाइटीज और प्राइमरी सोसाइटीज की भी है।

मेरे सबडिवीजन हाजीपुर में एक सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक है। उसके पदाधिकारियों का चुनाव हुआ जिसमें माननीय तत्कालीन कोआपरेटिव मिनिस्टर श्री दीप नारायण सिंह के आदमी हार गए। इस पर साजिश कर उक्त बैंक को मुजफ्फरपुर के साथ जोड़ दिया गया। हाजीपुर को मुजफ्फरपुर से जोड़कर मंत्रिमंडल ने हाजीपुर की जनता के साथ अन्याय किया है। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उक्त बैंक का अस्तित्व पूर्व जैसा कर दे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो प्रखंड महनार और देसरी हैं। दोनों प्रखंडों में २४ ग्राम पंचायतें हैं और लगभग ४३ समितियां हैं। पर एक भी समिति मुस्तैदी से काम नहीं करती, न वहां के पदाधिकारीगण उक्त अंचलों को पुनर्जीवित करने के लिए कोई प्रयास ही करते हैं।

दोनों प्रखंडों में व्यापार मंडल हैं। व्यापार मंडलों को सरकार ने अनुदान देकर मकान बना दिया और पूंजी के रूप में रकम देने का भी सर्कुलर दे रखा है। परन्तु व्यापार का कोई भी साधन नहीं दिया गया है। सिर्फ मकान और एक मैनेजर की नियुक्ति कर रुपये का अपव्यय सरकार करती है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार इन व्यापार मंडलों को और समितियों को पुनर्जीवित करना चाहती है तो एक उच्चस्तरीय कमिटी सरकार बनाए और उससे इस पर सुझाव मांगे कि सहयोग समितियों को किस प्रकार सुचारु रूप से चलाया जाय। साथ ही आपूर्त्ति विभाग से जो प्रखंडों का व्यापार व्यक्तिगत लोगों को दिये हुए हैं उसे व्यापार मंडलों को दे दें और प्रत्येक समितियों को गांव स्तर पर भी फेयर प्राइस शौप चलाने का अध्यादेश दे दें। यह अध्यादेश अनिवार्य रूप में कार्यान्वित करने का आदेश देकर सरकार इन समितियों को सुसुप्तावस्था से जागृत अवस्था में ला दें। सरकार यह हिदायत करे कि जो भी एस० डी० ओ० और बी० डी० ओ० ऐसा नहीं कर सकेगा उस पर उचित कार्रवाई की जायेगी। तब ही सहकारिता आन्दोलन में एक जन-जागरण से जागृति आयेगी। वरना यह सहयोग आन्दोलन सेक्रेटेरियट के फाइल में या चन्द लोगों की जेब में रह कर मर जायेगा।

मैं सरकार से अपील करूंगा कि समाजवादी तत्वों को संगठित कर सहकारिता आन्दोलन में नयी जिन्दगी और जागृति लावें।

कुछ विभाग में जो पक्षपात की नीति है, उसे भी हुकूमत को दूर करना चाहिए। जैसे अपने राज्य से बाहर दूसरे राज्य या देशों में जिन अफसरों को भेजा जाता है उनमें सीनियरिटी के आधार पर ही भेजा जाना चाहिए। अगर सीनियर आफिसर जाने को तैयार न हों तो दूसरे लोगों को भेजना चाहिए। प्रमाण के तौर पर मैं कहूंगा कि नेपाल में अभी इंस्पेक्टर्स को बे-बुनियाद ढंग से भेज दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस तरह जबतक सहकारिता आन्दोलन में सुधार नहीं लाया जाता तब तक सहकारिता पनप और फल फूल नहीं सकता।

इन्हीं शब्दों द्वारा सहकारिता पर श्री कर्पूरी ठाकुर के कटौती-प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री शरण वालमुचु—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके द्वारा सरकार से यह

कहना है कि सिंहभूम के चाईबासा में जो कोऑपरेटिव भवन बनाया गया है उस नये

भवन के सम्बन्ध में सरकार ने जो नीति अपनाई है वह एक अन्याय है और भवन के बनाने वाले ठीकेदार के प्रति एक बड़ा जुल्म किया गया है।

यह मकान पूरी तरह तैयार नहीं था कि कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों ने बेकानूनी ढंग से उस मकान को अपने दखल में ले लिया यद्यपि ठीकेदार ने मकान सरकार के जिम्मे नहीं दिया था।

करीब तीन साल बीत गये हैं परन्तु कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों ने मकान ठीकेदार को उस मकान का बाकी बिल (Bill) नहीं दिया है। करीब दस हजार रुपया जो मकान बनाने वाले ठीकादार को मिलता सरकार ने उसे अबतक देने का कोई प्रबन्ध नहीं किया।

मेरी सलाह है कि सरकार जल्द से जल्द ठीकेदार को उसके हक का रुपया दे देने का प्रबन्ध करे।

श्री बृजमोहन सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य श्री कर्पूरी ठाकुर द्वारा पेश कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सहकारिता संबंधी अपने चन्द सुझावों को आपके माध्यम से सरकार की दृष्टि में लाना चाहता हूं। सरकार के सहकारिता विभाग के मंत्री ने सदन में मांग उपस्थित करते हुए सदन को अपने राज्य में इस विभाग में हुई प्रगति से अवगत कराया है। यों तो हम सहकारिता एेज सच के विरुद्ध नहीं हैं किन्तु इसके रूप में जमीन पर उतरती हुई सामूहिक सहकारी खेती (Collective Co-operative Farming) के बिल्कुल ही विरुद्ध हैं। चूंकि सामूहिक सहकारी खेती के रूप में सरकार अपनी खेती अर्थात् सरकारी खेती करना चाहती है और देश में साम्यवाद को आमंत्रित करती है। राज्य में सहकारिता की प्रगति में कई प्रकार से बाधाएं उपस्थित हो रही हैं।

राज्य भर में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक खुले हैं और उनमें सचिव और मैनेजर दोनों का द्वैत शासन चल रहा है। यह सहकारिता के क्षेत्र में, प्रगति के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। सरकार को चाहिए कि सचिव को स्वतः काम करने की छूट दे और उसे यह भी अधिकार मिलना चाहिए कि अपना स्टाफ नियुक्त करे और उनके द्वारा काम करावे।

राज्य भर में व्यापार मंडल और मार्केटिंग यूनियन दोनों ही काम कर रहे हैं। एक स्थान में दोनों का काम करना और अलग-अलग काम करना अत्यधिक व्यय का साधन होगा। अच्छा यह होगा कि दोनों का कार्य सम्मिलित कर दिया जाय। सरकार के लिये यह अत्यन्त ही हितकर होगा यदि एग्रिकोल डिपो का व्यापार स्थानीय व्यापार मंडल को ही दे दिया जाय और उसी के माध्यम से यह क्रय-विक्रय कराया जाय तो इससे व्यापार मंडल की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सरकारी व्यय में कमी होगी।

स्टेट बैंक का अमलगमेशन नहीं होना चाहिए। इससे सहकारिता की प्रगति सीमित होकर ठप रह जायगी। सहकारिता का वातावरण दूर से नहीं निकट से तैयार किया जा सकता है। औरंगाबाद और सदर गया के स्टेट बैंकों का अमेलगमेशन नहीं होना चाहिए।

राज्य भर में स्टेट बैंक मार्केटिंग यूनियन, व्यापार मंडल, केनग्रोवर कोआपरेटिव यूनियन का शीघ्र आम चुनाव हो जाना चाहिए।

श्री गौरीशंकर केशरी—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री कर्पूरी ठाकुर के कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सहकारिता आन्दोलन का नग्न रूप सदन के समक्ष चन्द शब्दों में रखना चाहता हूं।

जब मैं सरसरी निगाह से सहकारिता विभाग की ओर देखता हूं तो ऐसा लगता है इस पर किसी एक जातिविशेष अथवा दलविशेष का प्रभाव है जहां किसी और का कुछ चलता-बनता नहीं है। सहकारिता से देश का बहुमुखी विकास हो सकता है बशर्त्ते कि इस विभाग को प्रमाणिकतापूर्वक चलाया जाय। किन्तु बात ऐसी नहीं है। इस विभाग में भीषण भृष्टाचार छाया है। प्रत्येक वर्ष इस विभाग पर करोड़ों रुपये व्यय किये जाते हैं। उसका उपयोग सहकारिता आन्दोलन को सबल बनाने में नहीं लगाया जाता बल्कि उन रुपयों को वजीफा के रूप में कांग्रेस कार्यकर्त्ताओं में बांटा जाता है। बोगस समितियां बनाकर उसके द्वारा ऋण प्राप्त कर स्थान-स्थान पर हजारों-हजार रुपये ले लिये जाते हैं और उन्हें निजी कामों में ये लोग खर्च कर देते हैं। कुछ अनजान लोगों को ऋण का लालच दिखा कर फंसाया जाता है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत हैं। नवादा अनुमंडल स्थित कहुआरा बहुधंधी सहयोग समिति के मंत्री ने चार हजार पांच सौ बावन रुपया संस्था का खर्च कर दिया किन्तु आज तक उन पर कोई कारवाई नहीं की गई। इसका एक मात्र कारण है कि उक्त समिति के मंत्री कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं। ऐसी अनेक समितियां हैं जैसे सिसवां, दुधैली, पकरी आदि जिनकी भी हालत अत्यन्त दयनीय है। सहकारिता विभाग के अन्तर्गत व्यापार मंडल भी चलता है जिनमें वैसे लोग हैं जिन्हें व्यापार का तिलमात्र भी अनुभव नहीं है। नवादा स्थित बैंक से लगभग सैकड़ों बोरा खाद (सल्फे) नाजायज ढंग से लापता कर दिया गया और भी धांधली खाद के विक्रय आदि में होती है जिससे किसानों को अत्यधिक परेशानी उठानी पड़ती है। नवादा में चर्मकार सहयोग समिति भी एक कांग्रेस कार्यकर्त्ता द्वारा ही चलाई जा रही थी जिसमें भी हजारों रुपये सरकार के लगे हैं पर आज उसका पता नहीं कि चर्मकार सहयोग समिति चल रही या नहीं।

यदि सहयोग समिति चलाने में सरकार असफल है तो सहकारी खेती की योजना का क्या होगा। सहकारी खेती करने की कल्पना ही अव्यावहारिक है और इस राज्य और देश के लिये उपयुक्त नहीं है। अतः सरकार को सहकारी खेती के संबंध में सोचना नहीं चाहिये।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष विस्तार में नहीं जाते हुए कुछ अपना सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं कि यहां सहकारी समिति के सदस्यों ने राजनीति के झगड़ों में पड़कर सहयोग समिति को भी राजनैतिक झगड़ों का अखाड़ा बना दिया है तथा इसको अपने-अपने गुटों के लोगों को पोषण करने का स्थान बना दिया है। अतः सरकार से आग्रह है कि सहकारी समिति के सदस्यों को इस बात की अनुमति नहीं दे कि वे राजनैतिक झगड़ों में फंसकर पक्षपाती बन जायं। बल्कि वे दिन-रात सहयोग समिति के विकास पर ही सोचें और विचार-विमर्श करें और तभी सहयोग समिति विकसित होगी, प्रस्फुटित होगी तथा भारतीय समाज का सर्वांगीण विकास हो सकेगा।

भारत कृषि-प्रधान देश है और बिहार की ८६ प्रतिशत जनता कृषि के ऊपर निर्भर करती है अतः यहां उनके जीवन-स्तर को सुधारने एवं उनके कार्यों को सहायता प्रदान करने के लिये ग्राम-ग्राम में ग्रामीण बैंक का संगठन किया जाय जिसका स्वरूप सेवा सहकारिता के आधार पर हो। इससे किसानों को विशेष सूद नहीं देना होगा और वे रुपया छिपाकर रखने की पद्धति को भी छोड़ देंगे। वे हिसाब-किताब रखना सीखेंगे तथा अपने तथा अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कर सकेंगे। सहकारी खेती की जाल में उन्हें तथा देश को बर्बाद नहीं किया जाय। इस खेती से तो उपज घटेगी और देश अकाल के काल में चला जायगा।

बैंक के साथ ही साथ सहकारी सेवा समिति के द्वारा किसानों को अच्छे बीज, खाद्य तथा पटवन की उपर्युक्त व्यवस्था समय पर इसकी अत्यन्त आवश्यकता है। इसके साथ ही उत्पादन की गई चीजों को विक्रय संबंधी अन्य कार्य भी वहां होना चाहिए। इसमें इन बातों को भी लेना जरूरी है :—

(१) वस्तु का एकत्रित करना (२) उसको गोदाम में में सुरक्षित रखना, (३) आर्थिक सहायता देना, (४) बीमा कराना, (५) प्रमाणीकरण कराना, (६) उसको उचित स्थान पर उचित दामों पर बेचना।

भारतवर्ष एक घनी आबादी वाला देश है। यहां आवश्यकता है कि प्रत्येक कार्य श्रमप्रधान हो तभी सभी लोगों को कार्य मिल सकता है और सभी का जीवन-स्तर ऊपर उठ सकता है। यह तभी संभव है जबकि यहां कुटीर उद्योग एवं लघु उद्योग प्रचुर मात्रा में प्रदेश एवं प्रदेश के कोने-कोने में फैला दिया जाय और इसको फैलाने का एक ही जरिया हो सकता है—वह है बिहार में औद्योगिक सहकारी समिति का संगठन एवं प्रचार और प्रसार तथा उसमें शुद्धता एवं राजनीति से परे रखने का कठिन नियम बनाना एवं उसका पालन करना।

उद्योगों के लिए सबसे पहले पैसे की आवश्यकता पड़ती है, पुनः कच्चे माल की और यह समस्या बिना सहयोग समिति बनाये हल नहीं हो सकती है। अगर हम उपरोक्त नियमों का पालन करें तो हमारे यहां इन उद्योगों को फैलाने का बड़ा ही अनुकूल वातावरण है। हाथ करघा उद्योग, शिल्प कला उद्योग, लौह उद्योग, पीतल और कांसा उद्योग, चर्म उद्योग, रेशम उद्योग, सींग और हड्डी उद्योग, धान-कूटना, आटा पीसना, तेल निकालना, गुड़ बनाना, शहद की मक्खियां पालना, डायरी फार्म चलाना, कागज बनाना, बीड़ी बनाना, खिलौना बनाना, खेल का सामान बनाना, ऊन का सामान बनाना, आदि।

अगर हमारी सरकार इन चीजों का उद्योग प्रचुर मात्रा में सहयोग समितियों के द्वारा प्रमाणिकता से चलाए तो बिहार का भाग्य कुछ वर्षों में बदल जाय।

श्री युवराज :—अध्यक्ष महोदय, भारत ने विज्ञान और प्रविधि के माध्यम से अपनी गरीबी दूर करने की योजना शुरू की है। यह बहुत बड़ी चुनौती है। किन्तु चीन द्वारा दी गई चुनौती उससे भी बहुत बड़ी है। हमलोगों को इसे स्वीकार करना है और सफलता प्राप्त करने की दिशा में बिहार राज्य जैसे किसानों के प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन की हिलने वाली नींव को शक्तिशाली बनाना है। चूंकि बिहार किसानों का प्रदेश है, अतः

खेतिहरों के बीच सहकारिता के माध्यम से सहकारी खेती की व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। निम्नलिखित आंकड़े से बिहार सरकार की इस दिशा में विफलता नजर आती है :—

कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज।

प्रान्तों के नाम।	ज्वायंट फार्मिंग।	कलेक्टिव फार्मिंग।	बेटर फार्मिंग।	टिनेन्ट फार्मिंग।
१	२	३	४	५
बिहार	६१	..	..	..
महाराष्ट्र	६६	२३०	३८	३४
पंजाब	६१३	३०	१४४	३०
राजस्थान	१६६	१०३	२१	४३६
उत्तरप्रदेश	५३५	२१	६७	१
आसाम	२४	१४४	२२	३६

इस प्रकार ऊपर के आंकड़े से यह विदित होता है कि बिहार राज्य की सरकार कोआपरेटिव फार्मिंग की दिशा में बुरी तरह विफल रही है। केवल इस मद में पिछले तीन वर्षों में ५ लाख रुपये अधिकारियों पर खर्च हुए हैं।

सेन्ट्रल मोर्टगेज बैंक सात वर्षों में केवल दस लाख रुपये किसानों को बिहार में कर्ज दे सका जबकि इस देश के दूसरे प्रान्तों में दो करोड़ से लेकर दस करोड़ तक कर्ज दिये गए हैं।

टिप्पणी—इन भाषणों पर अभी सरकार से] उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

बि० स० मु० (एल० ए०) २३६—मोनो—८७४—१४-१२-१९६३—कि०प्र० सिंह